

[Shri Mahavir Prasad]

mittee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 10th December, 1980."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That this House do agree with the Twelfth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 10th December, 1980."

The motion was adopted.

15.30 hrs.

RESOLUTION RE: IMPLEMENTATION OF POLICIES AND PROGRAMMES FOR TRIBAL AREAS AND SCHEDULED CASTES—Contd.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, we take up further discussion on the Resolution moved by Shri Giridhar Gomango. The time left is 50 minutes.

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत (अलमोड़ा): इस पर कम से कम दो घंटे का समय बढ़ाया जाना चाहिये।

SOME HON. MEMBERS: Yes, yes.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Jadavpur): It has already been extended from two hours to five hours.

MR. DEPUTY-SPEAKER: We may extend it by one hour. Everybody must be given a fair chance. Every problem is important. Now, we have got one hour and 50 minutes. Shri Namgyal to continue his speech.

श्री पी. नामग्याल (लद्दाख): पिछली बार जब इस पर डिस्कशन हो रही थी तब मैं लद्दाख और लाहोल स्पीच का कुछ कम्पेरिजन कर रहा था। मैं तब यह कह रहा था कि हमारे सारे लद्दाख के केवल दो आई ए एस अफसर हैं अर एक आई पी एस अफसर है और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किस कदम बैकवर्ड हैं। लाहोल

स्पीच को जो पापुलेशन है वह लद्दाख की पापुलेशन के मुकाबले में हाईली वन फिफ्थ है और वहां के कई दर्जन आई ए एस और आई पी एस अफसर हैं। इस वास्ते मैं यह कहते बगैर नहीं रह सकता कि उस इलाके को मजिदा सरकार ने खसूसी तौर से बुरी तरह निगलैक्ट करके रखा है। 1977 की बात है। तब श्रीमती इन्दिरा गांधी वहां आई थीं। तब वह प्राइम मिनिस्टर थीं। तब उनको हमने यह रिप्रिजेंटेशन दिये थे कि सारे लद्दाख को और जम्मू व काश्मीर के जो गुजर और बाकरवाल हैं, उनके इलाकों को शिड्यूलड ट्राइब्ज एरिया और वहां के रहने वालों को शिड्यूलड ट्राइब्ज तसब्कुर किया जाये, डिक्लेयर किया जाये। इन्दिरा जी हम पर मेहरबान थीं, उन्होंने उस बात को मान लिया और उस बारे में काश्मीर सरकार से क्वैरी उस वकत हुई।

वहां की उस वकत की सरकार, जो अभी भी वहां पर हुकूमत में है, उसने यह अपोज किया और कहा कि हम इन लोगों को शिड्यूलड ट्राइब्ज या उस इलाके को शिड्यूलड ट्राइब्ज एरिया नहीं होने देंगे।

इसी से अन्दाज लगाया जा सकता है कि वहां की सरकार किस कदर लद्दाखियों के खिलाफ है, यह मैं लद्दाख की बात नहीं कर रहा हूँ, गुजर और बाकरवाल की भी बात कर रहा हूँ। यह लोग नौमेड हैं, वह अपने पशुओं, भेड़ और बकरियों को लेकर जगह-जगह पहाड़ियों में घूमते रहते हैं। आप जज हैं, आप खुद ब्याल कर सकते हैं कि क्या यह शिड्यूलड ट्राइब्ज एरिया डिक्लेयर नहीं हो सकता है?

आज लद्दाख के इलाके में रहने वाले हम सब लोग बैकवर्ड हैं। मैं अपनी यह डिमांड आपके द्वारा रखना चाहता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारी डिमांड को फिर से ले लेना चाहिए और उसे काश्मीर की गवर्नमेंट से बातचीत करनी चाहिए। अगर इस सिलिसिले में आर्टिकल 370 में कोई तबदीली या अमंडमेंट की जरूरत हो, तो वह कर लेना चाहिये। इसकी वजह से कुछ मुश्किलत है, और वो हुकूम हमको मिलने चाहिये थे, वह नहीं मिल रहे हैं।

मैं यह बात आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि बाज के लद्दाख के हालत ठीक नहीं हैं, वहाँ पर पिछले 30 नवम्बर से एजीटेशन चल रहे हैं। वहाँ न कोई प्रेस का रिप्रिजेंटेटिव है और न किसी प्रेस एजेंसी का रिप्रिजेंटेटिव है। यहां तक कि आल इंडिया रेडियो का भी कोई रिप्रिजेंटेटिव नहीं है। हालांकि वहाँ के लिये आकाशवाणी एक रिप्रिजेंटेटिव एप्वाइन्ट किया हुआ है जो कि श्रीनगर में बैठा दिया गया है। इसकी वजह से वहाँ जो कुछ उस एरिया में हो रहा है, कोई खबर बाहर नहीं आ रही है। एजीटेशन चल रहा है, लोग डिमांड कर रहे हैं, कि इस इलाके को शिड्यूल्ड एरिया डिक्लयर किया जाये, वहाँ के लोगों को शिड्यूल्ड ट्राइब्ज बनाया जाये और लद्दाख को जो एण्ड के स्टेट और इन्डियन कांस्टीट्यूशन के अन्दर रीजनल आटोनोमी दिया जाये। यहां पर जो शिड्यूल्ड ट्राइब्ज, बैंकवर्ड क्लासेज और हरिजनस के लिये जो सब-प्लान बनाये गये हैं, वैसे ही प्लान बनाने के लिये लोग डिमांड कर रहे हैं, लेकिन आज हमारी बदाकिस्मती यही है कि कोई भी उस इलाके की बात बाहर नहीं आ रही है और जो कुछ तार के जरिये खबर आती है, उन पर काश्मीर सरकार ने सेंसर लगाया हुआ लगता है।

पहले भी मैं इन्फार्मेशन मिनिस्टर के नोटिस में लाया था कि जंस्कार में जब लाठी चार्ज हुआ, फायरिंग हुई उसके जो तार बँगरा भंजे गये थे, उन सब को सेंसर कर लिया गया था। उन्हें कहीं भी भंजने नहीं दिया गया। आज भी यही बात हो रही है। कोई भी बात बाहर नहीं आ रही है उस इलाके से जो कि सैरीटिव बार्डर एरिया है। वहाँ एजीटेशन चल रहा है, लोग डिमांड कर रहे हैं कि शिड्यूल्ड एरिया डिक्लयर किया जाये और रीजनल आटोनोमी दिया जाये। खसूसी तौर पर जो लद्दाख के रहने वाले हैं वह काश्मीर की सरकार द्वारा सीकंड क्लास सिटीजनस तसब्बर किये जा रहे हैं। यह खतरनाक हो सकता है। मैं वार्निंग देना चाहता हूँ कि कभी भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है

जो आजकल हमारे आसाम में हो रही है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस तरफ तब-ज्जह दी जानी चाहिए। आसाम में बाज हालत यह है कि काबू से बाहर है, और कंट्रोल में नहीं आ रही है। लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा खसूसी तौर पर होम मिनिस्टर से कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जरूर लद्दाख की हालत पर तबज्जह देनी चाहिए और इंटरवीन करना चाहिए।

मैं यह बात लद्दाख के कनटेक्स में कह रहा हूँ। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज किया था, बाकी जितने ट्राइबल एरियाज हैं, वहाँ के लोगों को कंफिडेंस में लेना चाहिए। सब-प्लानज के लिए जो रकम मखसूस की गई है, मैं समझता हूँ कि वह कम है। सिक्स्थ प्लान के लिए वह रकम कम से कम 1,000 करोड़ रुपये होनी चाहिए।

हमारे कांस्टीट्यूशन बनाते वक्त बैंकवर्ड और शिड्यूल्ड कास्टस तथा शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए कुछ खास सहूलियतों पहले दस साल के लिए रखी गई थीं। उसके बाद पांच-पांच साल के लिए उन्हें तीन बार बढ़ाया गया था। इसका मकसद यह था कि वे लोग दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता या देश के मंदानी इलाकों में रहने वाले लोगों की बराबरी पर आ जायें। सेंट्रल सरकार इस काम के लिए चाहे जितनी भी रकम मखसूस करे, लेकिन चूँकि इम्प्लीमेंटेशन का काम ज्यादातर स्टेट सरकारों के हाथ में रहा है, इस लिए इम्प्लीमेंटेशन की तरफ कम तबज्जह रही है। मेरी गुजारिश है कि सिक्स्थ प्लान के इम्प्लीमेंटेशन के दौरान इन एरियाज के लिये ज्यादा से ज्यादा तबज्जह देना चाहिये।

मैं एक बात खास तौर पर जनाब मकवाना साहब के नोटिस में लाना चाहता हूँ कि लद्दाख में जो कुछ हो रहा है, काश्मीर सरकार उसको डंडे, गोली और पुलिस के जोर से दबाने की कोशिश कर रही है। मैं कह देना चाहता हूँ कि अगर उसका यह एटीच्यूड रहेगा, तो यह एजीटेशन कभी नहीं दबेगी और हालत आसान से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। लोग नहीं जानते हैं कि हमारी टापांग्राफी और कन्डोशन क्या है। आपन बार्डर होने की वजह से कोई आदमी लाइन को कास कर के कहीं भी जा

[श्री पी. नामग्याल]

सकता है। यह नार्थ-ईस्ट जैसा इलाका नहीं है। यह बहुत ही सेन्सिटिव एरिया है। एक तरफ चाइना और दूसरी तरफ पाकिस्तान माँके की ताक में बैठा हुआ है।

मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि जम्मू-काश्मीर में लाइन आफ एक्चुअल कंट्रोल पर अगस्त से पाकिस्तान की फौजों का काफी कानसेन्ट्रेशन है। वहाँ पर हवाई गन्ज डिप्लाय किये गये हैं। खबरों के मुताबिक वहाँ पर कुछ चाइनीज और अमरीकन एडवाइजर भी मौजूद हैं। पंपर्ज में छपा है कि गिलगित में कुछ मिसाइल स्टेशन भी सेट अप किये गये हैं। अगर यह बात सही है, तो यह हमारे मुल्क के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। अगर उस इलाके में कोई भी गड़बड़ हो, अगर वहाँ पर थोड़ी सी इन्स्टे-बिलिटी हो, तो वह मुल्क के लिए फायदेमंद नहीं होगी।

इन चन्द अलफाज के साथ मैं इस रजोल्यू-शन की पुरजोर हिमायत करता हूँ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Every hon. Member shall please take a little time so that all can be called. In the end some hon. Members are not able to be called. Therefore, please help.

Now, Mr. S. P. Sahu may speak.

श्री शिव प्रसाद साहू (रांची): उपाध्यक्ष महोदय, आज हम इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि आदिवासियों और हरिजनों का कल्याण किस तरह से हो। हमें इस पर बड़ी गंभीरता और संजदगी से सोचना होगा कि इन लोगों का भला कैसे हो, तरक्की की दौड़ में दूसरे लोगों के साथ इनको भी हम कैसे आगे ले चलें और उनके लिए जीवन में तरक्की के सब रास्ते खोलें। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो और चाहे प्रान्तीय सरकारें हों, वे पिछले 32 वर्षों से कहते आ रहे हैं कि हम आदिवा-सियों और हरिजनों का भला करेंगे। लेकिन असल में हो क्या रहा है यह देखने वाली बात है। लाखों, करोड़ों रुपये उनके लिए एलाट किए जाते हैं लेकिन ब्लाक स्तर पर जा कर वह जो हमारे बड़े अधिकारी हैं वे न मालूम कहां उस का गायब कर देते हैं। यह बड़ा गंभीर विषय है जिस पर

विचार करने की बात है। करोड़ों और अरबों रुपये खर्च हुए लेकिन उन के जीवन में जो सुधार होना चाहिए था वह नहीं हो सका, बल्कि उनकी हालत दिन प्रति दिन बिगड़ती जा रही है। आज तो बिहार के इलाके में आप देखें खासकर के रांची और पलामू के इलाके में जो हालत आप को मिलेगी वह दुनिया के इतिहास में आप को कहीं नहीं मिलेगी। सिर्फ तीन थानों के अंदर लाहेरदगा, चंदवा और पलामू जिले के लातेहर के जो अनुमंडल हैं वहाँ के 2 लाख आदिवासियों को गुलाम की तरह गफलत में डाल कर और भूठे आश्वासन दे कर फौजाबाद, पंजाब दंगरह में ले जाते हैं। उन से कहा जाता है कि तुम्हें दस रुपये राज मजदूरी दोगे, 30 रुपये हजार इंटों के दाम दोगे। जवान लड़कियों को गांव के एजेंट के जरिए लालच दे कर के भगाया जाता है। इस बारे में मैं मकवाना साहब की तारीफ करूंगा कि इन्होंने कदम उठाया जिस से इस में कुछ रुकावट आई है और लोगों को नहीं ले जा रहे हैं। लेकिन आज भी फौजाबाद, बनारस और दूसरी जगहों के जो ठकेदार हैं वे रात में जो हमारे भोले आदिवासियों के गांव हैं वहाँ के जो तेज लोग हैं उन को पैसे का लालच दे कर वहाँ से रात में लोगों को रेल से भगा कर ले जाते हैं। वे जवान लड़कियों को ले जाते हैं काम कराने के लिए लेकिन उस में दो तीन भट्ठे वाले सही हुए तो हुए नहीं तो बाकी उन लड़कियों को बेचने का काम करते हैं। उन को लखनऊ के अड्डे पर बेचा जाता है या और और जगहों पर बेच दिया जाता है। एक एक लड़की के साथ पांच पांच आदिमियों द्वारा ब्लात्कार होता है, कोई देखने वाला नहीं है। वे भट्ठे में काम करते हैं लेकिन जब वे बाजार जाते हैं तो उन के साथ पहलवान जाता है ताकि वे भाग न जायें। मंत्री जानकारी के अनुसार तकरी-बन पाने चार सौ लोग आज भी तीन वर्षों से पंजाब में और दूसरी जगहों में फारम पर पड़े हुए हैं, उन को घर नहीं आने दिया जाता है और बेड़ी लगा कर रखा जाता है। यह हमारे छोटा नागपुर के इलाके में हो रहा है। ज्यादा दिन की बात नहीं है आप को पता है कि 10 अप्रैल को रांची जिले की 218 लड़कियों को विपुस में वहाँ की

सरकार द्वारा बरामद किया गया जिनको 18 महीने से वहां से रखा गया था और गलत रास्ते पर ले जा कर उन से व्यभिचार कराया जाता था। हम झुंझार हैं त्रिपुरा गवर्न-मेंट के कि उन्होंने अपने खर्च से उन को वापस भेजा। उन को वहां से कलकत्ता और कलकत्ता से रांची लाया गया और सब को अपने अपने घर भेज दिया गया। आज वड़ी दर्दनाक स्थिति है। इस तरह की कई बातें हैं।

मैं सिर्फ छोटा नागपुर की ही बात नहीं कह रहा हूँ। उड़ीसा में भी यही हालत है, मध्य प्रदेश में भी यही हालत है। यदि सरकार सही माने में आदिवासियों और हरिजनों के हित की रक्षा करना चाहती है तो कलम से नहीं बल्कि प्रैक्टिकल में हमें काम करना होगा।

अब मैं कुछ सुभाव अपनी बुद्धि के अनुसार देना चाहता हूँ। आज हमारी सरकार यह कहती है कि हम आदिवासियों को आगे बढ़ाने के लिए बैंकों से लोन देंगे। मैं कहता हूँ कि आप गृह विभाग से सी. आई. डी. भेजें, आप को पता चलेगा कि सैंकड़ों पीछे दो तीन आदिवासियों को यदि बैंक में लोन मिल गया तो मिल गया, बाकी यदि वह जाते हैं तो पन्द्रह बीस किरानी लोग उन को ठगते रहते हैं और उन का रुपया खा जाते हैं, उन को वैसे ही वापस लौटना पड़ता है, बैंक से लोन उनको नहीं मिलता है, न खेती के लिए, न हल के लिए, न और किसी चीज के लिए। यदि कोई बहुत पढ़ा लिखा तेज आदिवासी हुआ उस को मिल गया तो मिल गया वरना बैंक से जंगल और जंगल से बैंक दौड़ते दौड़ते उन को जूता जाता है। यहां गंभीर विषय है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि बैंकों को यह हिदायत दी जाय कि आदिवासियों को पांच हजार रुपये तक का लोन बिना किसी गारंटी के दिया जाय। यह मेरा एक सुभाव है।

दूसरा सुभाव यह है—बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में बड़े-बड़े कारखाने खले हैं। उस में लोग डिस्प्लेस हो गए हैं। उन की जगह-जमीन पर लोगों ने बड़े बड़े महल बना लिया और कारखानों का निर्माण कर लिया। यह तय था कि जिन की

जमीन जायगी उन में से प्रत्येक घर से कम से कम एक व्यक्ति को जरूर नौकरी दी जायगी। यह सुनने में बड़ा सुन्दर लगता है लेकिन यह हो नहीं रहा है। आज हो क्या रहा है कि यदि कोई बाबू कलकत्ता से गया या पटना या किसी और जगह से गया तो वह अपने भाई भतीजे को वहां भर देता है। उस का नाम बदल दिया जाता है। आदिवासियों में खैरवार एक जाति होती है, उस जाति के लोग अपने नाम के साथ सिंह लिखते हैं। सफोज कीजिए कि किसी का नाम रमेश सिंह है, वह खैरवार जाति का आदिवासी है, लेकिन किसी दूसरी जगह का कोई दूसरा रमेश सिंह है, उस को उस की जगह बहाल किया जाता है। इस तरह से दूसरे लोगों का नाम बदल कर उन को बहाल किया जाता है। यह बंगलिंग होती है। इसलिए जो सही मायने में डिस्प्लेस ट्राइव्स हैं उनको नौकरी में रखा जाए। वहां पर बाक्साइट की खदानें हैं और लोहे का काम भी प्राइवेट सेक्टर में हो रहा है। उन लोगों को वहां पर कुली का काम दे दिया जाता है। आप आंकड़े पूछेंगे कि कितने आदिवासियों को रखा गया, कितने हरिजन रखे गए, तो आंकड़े पेश कर देंगे कि सैंकड़ों पीछे 80 रखे गए लेकिन वे सब वही कुली होते हैं। किरानी की पोस्ट, हिस्सा रखने वालों या हाजरी लेने वालों की जगह के लिए रातस्थान या मदरास से लोग लाये जायेंगे। इस प्रकार से हरिजनों का कल्याण नहीं होगा। प्राइवेट सेक्टर बातों के लिए भी आपको हिदायत देनी होगी कि अगर वहां पर बी. ए., एम. ए. पास लायक लोग मिलें तो उनको तरजीह दी जाए। अगर वे आपकी हिदायत का उल्लंघन करें तो उनकी लीज को कैंसिल कर दिया जाए।

मैं आपको छोटा नागपुर की बात बतला रहा हूँ। वहां पर बरसात के दिनों में दो सौ, तीन सौ मातों मलोरिया से हो चुकी है लेकिन कह दिया जाता है कि इतने मलोरिया हेल्थ सेंटर खोल दिए गए हैं। दो हजार आबादी के पीछे हेल्थ सेंटर खोल देने की बात कही जाती है लेकिन आप मेरे साथ उड़ीसा में पहाड़ों पर चालें, कहीं भी आप को सेंटर नजर नहीं आयेंगा। अगर सेंटर है तो केवल रजिस्टर में ही होते हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: There are thirteen Members. All must be given a chance. I will not allow any Member to take more than five minutes. (Interruptions)

Mr. Sahu, should we not give a chance to other Members? Please conclude.

श्री शिव प्रसाद साहू: मेरा कहना यह है कि वहां पर हेल्थ सेंटर खोले जायें। पांच-सात हजार आबादी के पीछे आदिवासियों के लिए हिल एरियाज में दस बिस्तरे वाले अस्पतालों का निर्माण कराया जाए। इसी प्रकार से हरिजनों के लिए मकानों की अविश्वसनीय व्यवस्था की जानी चाहिए। आज सुबह और मृगी एक ही जगह पर राब से रहे हैं। इनसान नहीं जानवरों की तरह से वे अपना जीवन बिता रहे हैं।

इसी के साथ साथ मेरा निवेदन है कि ताना भगतों की जमीनों अभी तक वापिस नहीं हुई है, जिन्होंने आजादी में भाग लिया था। इसी प्रकार से उनके लिए मुफ्त कानूनी सलाह की व्यवस्था करनी होगी। मेरा सुझाव है कि इस आगामी पंचवर्षीय योजना में दो हजार करोड़ आदिवासियों के लिए और दो हजार करोड़ की व्यवस्था हरिजनों के लिए की जानी चाहिए।
(व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI YOGENDRA MAKWANA): This is a very important Resolution. It has come for the first time in this House. On various occasions problems have been discussed in this House but this Resolution deals with the economic aspect. Ten hours were allotted for the discussion of the problem of pricing agricultural commodities. You may appreciate the sentiments of the hon. Members.

MR. DEPUTY-SPEAKER: To-day is the last day. It is not going to come up again. You have got to reply. Otherwise, no purpose will be served.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: I will reply in the next Session.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You do not want to reply to-day?

SHRI YOGENDRA MAKWANA: No.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Suppose they take less time. You can also reply. To-day is the last day.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: I can reply in the next Session if it is not possible to-day.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Other Members have also given some Resolutions.

श्री शिव प्रसाद साहू: अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि छठी पंचवर्षीय योजना आप बना रहे हैं, जिस पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। अगर सरकार को काम करना है तो तूफानी रफ्तार से काम करे। इस सम्बन्ध में मैं सुझाव दूंगा कि आदिवासियों के लिए दो हजार करोड़ रुपये और हरिजनों के लिए भी दो हजार करोड़ रुपये का प्रावधान इस योजना में होना चाहिए। साथ ही साथ इस योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भी हरिजन और आदिवासी अफसरों के ऊपर होनी चाहिए तभी यह काम हो सकता है, अन्यथा यह काम पूरा नहीं होगा।

आदिवासियों को आज जंगल के कानून तवाह कर रहे हैं। वे बिचारे जंगलों में पले हैं। अगर वे जलावन के लिए भी लकड़ी काट कर ले जाते हैं तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी को पांच रुपया दे दिया जाए तो रुपया देने वाला कच्ची लकड़ी काट कर भी ले जा सकता है। इसलिए मैं मांग करूंगा कि उन्हें अपने घर के लिए और जलाने के लिए जंगल से लकड़ी काट कर ले जाने की छूट होनी चाहिए और वह लकड़ी उन्हें मुफ्त मिलनी चाहिए।

उड़ीसा में कन्द जाति के लोगों के लिए अंग्रेजों के वक्त से फॉरेस्ट रिजर्व्ड रहता रहा है। आजकल क्या होता है कि वे दो

साल कहीं रहते हैं वहाँ जंगल काटते हैं, और फिर और कहीं चले जाते हैं। इससे कितना जंगल बर्बाद हो रहा है, मत पूछिए मैं चाहता हूँ कि इन कन्द जाति के लोगों को एक जगह बसा दिया जाए ताकि जंगल भी कटने और बर्बाद होने से बच सकें और ये लोग भी एक-न-एक जगह पर रह सकें।

इसी तरह से फोरेस्ट के बीच में आदिवासियों की बस्ती होती है जो फोरेस्ट बस्ती होती है और उसकी मिल्कियत जंगल विभाग की होती है। आजकल इस बस्ती के लोग गुलामों की तरह से अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। इस बस्ती के लोगों से विभाग वाले अपने घरों पर बेगार काम कराते हैं, वे दूसरों के लिए काम करते हैं और मूसीबत में अपनी जिंदगी गुजर करते हैं। ऐसे लोग बड़ी कठिनाई में फंसे हैं। इन लोगों को जंगल में ही बसाने के लिए इनके नाम से जमीन की पची काटी जाए और उन्हें अपनी गुजर-बसर करने दी जाए। उनके नाम से जमीन की पची काट कर ही उनके जीवन की रक्षा हो सकती है।

जिस तरह से दूसरी जाति के लोगों के लिए बड़े बड़े स्कूल खुले हुए हैं, उसी तरह से, केन्द्रीय स्कूल की तरह इन आदिवासियों के बच्चों के लिए प्रत्येक जिले में स्कूल होना चाहिए जिससे कि आदिवासियों के जो बच्चे होशियार हैं और पढ़ सकते हैं उनको वहाँ स्कूल में पढ़ने की सुविधा प्राप्त हो।

मैं यह चाहता हूँ कि सरकार इन सब पर गंभीरतापूर्वक सोचे और इन पर अमल करे। नहीं तो हमारी छठी पंचवर्षीय योजना धरी की धरी रह जाएगी। वह केवल मात्र कागज पर ही रह जाएगी।

मैं गृह मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपको हरिजन, गिरिजन और आदिवासियों का उत्थान करना है तो उनके जो हक हैं जो कि उनको नहीं मिल रहे हैं, वे उनको सही मायनों में दिये जाएं तभी उनका उत्थान और विकास हो सकता है।

SHRI KUSUMA KRISHNA MURTHY (Amalapuram): Mr. Deputy-Speaker, Sir, at the outset, I would

like to congratulate the Government that after 30 years, they have taken a right step in the right direction.

What I mean to say is, through these plans, thousands of rupees have been spent and, every time, in every manifesto, on every Government policy, they are shouting at the top of their voice that they are trying to bring upliftment to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. In reality, when we examine the results, we find that they have not percolated to the grass roots. Therefore, unless we make a special effort in making special allocations exclusively for the economic betterment of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, it would not be possible for them to come up with the mainstream of the rest of the society.

16 hrs.

The Government, for the first time, have realised the necessity of making special allocations and, therefore, have allocated Rs. 100 crores under special Central assistance. We know that thousands of crores of rupees are spent on irrigation projects, but they have no lands to irrigate. Factories have been constructed, but they do not get even jobs to work there; bridges, roads and railways have been laid, but these people have not been able to get the benefits of these things; they have not left their traditional cells, namely, the tiny villages, because there is no functional mobility in their occupations. Therefore, I call it a right step in the right direction that Government, for the first time, in 30 years, have made these special allocations.

To make the benefits available to these people, the list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes must be properly revised. Already attempts have been made to revise the list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in this country; in the last Lok Sabha, I was myself associated with this work, but it has not yet been finalised. The urgency of the problem demands that the list of Scheduled Castes and Schedules

[Shri Kusuma Krishna Murthy] duled Tribes must be properly revised, so that they derive the benefits and opportunities to which they are legitimately entitled.

Secondly, it has been clearly stated in the objectives of this special approach, that 50 per cent of these communities must be brought above the poverty line under these schemes during the Sixth Plan. The allocation made is quite meagre, but the problem to be tackled is very large. Compared to the magnitude of the problem, the allocations made are quite meagre. Therefore, unless the problem is tackled in a realistic way and the allocations are properly increased keeping in view the magnitude of the problem, it is not possible to bring about the expected results under these schemes.

Another important aspect involved in this is that when I visited Orissa as a member of a Parliamentary Committee, I had the opportunity of meeting a number of tribal representatives. They have expressed their grievances clearly. Still, the government agencies who are deriving the financial assistance are not able to serve their needs. Actually there is the procedure of loan cum-purchase policy. The middle men, at throwaway prices, take away the mini forest products from the tribals, and the policy of exploitation is still being continued there. With the little financial assistance, the Government agencies are not able to cater to the needs of the tribals there. Unless Government increases the financial assistance and unless they go into the market to purchase all the products, completely they will not be able to eliminate the middlemen there, they will not be able to eliminate the exploiters. This is a very important aspect which has come out during my personal discussion with the tribal representatives in Orissa. The states have sent a number of proposals while sending the Sub Plan to the Central Government. One of the important aspects is that the Plan is very systematically insisting upon income-generating programmes; the object is in-

come-generating programmes and not infrastructural development. If that is the case, the meagre amount allocated will not be able to serve the purpose for which it has been allocated. Unless we eliminate to a large extent, the role of the banks which are traditionally confined to a few sectors and have not come up to the expected level, we will not be able to achieve the desired objective. Once we accept the income-generating objective in this Plan, it is not possible to achieve the target unless we increase the allocations.

The Working Group for the Sixth Plan recommended that the special Central assistance for the Sub-Plan should be Rs. 1,000 crores for tribal development and that for the special Component Plan for Scheduled Castes should be Rs. 2,000 crores. I personally feel that these amounts are quite meagre compared to the magnitude of the problem to be tackled within the stipulated period, and if, in the process, you scuttle or reduce even these respective allocations, it becomes absolutely a mockery. We have seen a number of programmes in various schemes and plans which aim at their upliftment and the results when assessed are quite discouraging. Therefore, the Working Group, in a realistic way, has earmarked these amounts and under no circumstance should these amounts be reduced and preferably they should be doubled so that the objective for which the Prime Minister consistently has been emphasising, that 50 per cent of the Scheduled Castes and Scheduled Tribe communities should be brought above the poverty line in the Sixth Plan, would be realised. This target could be reasonably achieved only if the suggested allocations are kept up to the level at which the Working Group has insisted upon. Besides, there are a number of programmes which must be tackled on a different footing. Why I am insisting on this is that when we are making the allocations, the allocations should be made sector-wise. This is a very important aspect. We are making

allocations in a general way. For instance when we are making an allocation for agricultural labour, you must take the different communities which are dominating the agricultural labour. For instance Scheduled Castes among the agricultural labour are 80 per cent and 80 per cent of the allocation should go to them. When we come to the leather industry, there is a particular community which is dominating upto 90 per cent and for them 90 per cent of the allocation has to go. Unless we made sector-wise allocations, we will not be able to achieve the desired objectives for which the allocations are made. For the first time the government have realised the need to make special allocation to tackle their economic problem. It is most gratifying and it is a right step in the right direction. Therefore, I would like to congratulate the government. What I am insisting on is that the allocations which have been suggested by the Working Group must not be reduced and if possible, they should be doubled. Then only we will be able to achieve our objectives.

With these words, I would like to conclude.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Uttam Rathod—not here. Shri Satyanarayan Jatiya—he is also not here. Shri Viridhi Chander Jain.

श्री विरधि चन्द्र जैन (बाडमेर) : श्री गिरधर गोमांगो ने जो प्रस्ताव रखा है उस का मैं तहे दिल से समर्थन करता हूँ ।

26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ । उस में हम ने तय किया था कि दस वर्ष के लिए हम उनके लिए रिजर्वेशन रखेंगे, शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लिए रखेंगे । मंशा यह थी कि दस वर्षों में ये लोग सबकों के बराबर आ जाएंगे । हम इसको बढ़ाते गए । अब इसको हमने दस साल और बढ़ा दिया है । यह व्यवस्था 1990 तक के लिए है । 1990 तक उनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था कर दी गई है । आज इस व्यवस्था को किए हुए तीस साल हो गए हैं । मेरा कहना है कि छठे

प्लान में कॉमिश्न की जानी चाहिये और साथ ही साथ सातवें प्लान में भी ताकि ये लोग दूसरे लोगों के बराबर आ जाए । ऐसा हो सके इसके लिए हमें उनके वास्ते अधिक से अधिक फंड्स की व्यवस्था करनी होगी । प्लानिंग कमीशन का एक वकिंग ग्रुप बना था । उसने सिफारिश की थी कि ट्राइब्स के लिए एक हजार करोड़ और शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए दो हजार करोड़ की व्यवस्था की जाए । मेरा कहना यह है कि इस राशि को इस प्रकार से बढ़ाया जाना चाहिये और कार्यक्रम इस प्रकार से बनाया जाना चाहिये ताकि छठे और सातवें प्लान में हम उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकें और उनको सर्वण लोगों के बराबर ला सकें । फंड्स के बारे में मैं कोई एमाउन्ट बता नहीं सकता हूँ । एमाउन्ट हो सकते हैं—शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिये 4 हजार और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये 2 हजार । इससे भी अधिक हो सकते हैं । जांच करके इस सम्बन्ध में व्यवस्था की जानी चाहिये । हम यह चाहते हैं कि अब आगे यह स्थिति पैदा न हो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोग इकनामिक पोजिशन में दूसरों के मुकाबले कमजोर रहें । हमारा यह भी दृढ़ मत रहा है कि जो आर्थिक स्थिति से और भी गिरे हुए हैं, जिनका जीवन-स्तर बहुत ही गिरा हुआ है, उनके बारे में भी हमें कदम उठाने चाहिये ।

कुछ अन्य जातियों के लोग भी ऐसे हैं जो बहुत गरीब हैं, और उनके कहीं से कुछ मदद नहीं मिल पाती है । इसलिए कुछ ऐसा फार्मूला सोचना होगा कि जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं, जिनकी इकनामिक कंडीशन अच्छी नहीं है जो वीकर सैक्शन के हैं, उन्हें भी कुछ लाभ मिल सके ।

इसके साथ ही जिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई है, जो इनकम टैक्स पे करते हैं, उनके जो रिजर्वेशन के एड-वान्टेजेंस मिलते हैं, वह आगे नहीं मिलें ऐसी व्यवस्था भी करनी चाहिये । क्योंकि हमारे कांस्टीट्यूशन के उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है तो फिर आगे क्या बाव-

[श्री सुश्री चन्द्र वर्मा]

स्वकता है कि इस लोगों को और अधिक छुट दी जाये। जिन लोगों की स्थिति अच्छी हो गई, उसे आई.ए.एस. और आई.पी.एस. व दूसरे बड़े अधिकारी हूँ नये, फिर भी अनुसूचित जाति और जन-जातियों के लाभ उठाने रहे, यह स्थिति बर्बाद नहीं की जा सकती। जब एम्प्लायमेंट का प्रश्न आता है तो अनुसूचित जाति और जन-जातियों के अधीन उनको सर्विस मिलती है, जब उनके लड़के पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं और आई.ए.एस. और आई.पी.एस. की श्रेणी में उनके लड़के आते हैं। यह स्थिति बन गई है और इधर गरीब लोगों को एम्प्लायमेंट नहीं मिल पाती। इस प्रकार की स्थिति को देखते हुए हमें इस सम्बन्ध में कुछ गौर करना पड़ेगा। जो राजनीतिक दृष्टि से मजबूत हों, और अनुसूचित जनजाति के हों अगर वह इसका विरोध करें तो हमें उनका मुकाबला करना चाहिये। हमें उनको बताना चाहिये कि कांस्टीट्यूशन के जो प्रावजन हैं, जब उसको उद्देश्य की पूर्ति हो गई तो अब हमेशा आगे उसका लाभ आप नहीं उठा सकते।

बांडेड लेबर के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, राजस्थान का मुझे एक्सपीरिअंस है। बांडेड लेबर की आइडेंटिफिकेशन का काम हमारी गवर्नमेंट ने दिलचस्पी से नहीं किया। बहुत से लोग अभी भी बांडेड लेबर में हैं और उनकी आइडेंटिफिकेशन का काम ही नहीं हुआ है तो रिह्यूब्लिशन का प्रश्न ही कहां पैदा होता है? गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट इन्स्पेक्शन भेजने चाहिये कि उनकी आइडेंटिफिकेशन और बसाने के काम में उनकी स्थिति को सुधारने के कार्यों को लिया जाना चाहिये।

लैंड रिफार्म के बारे में हमारी कांग्रेस की सरकारों, प्रान्तीय सरकारों ने वंस्टेड इन्टरेस्ट के चक्कर में आकर कोई प्रोग्रेसिव कदम नहीं उठाया है और जो उठाये भी हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को जो जमीन मिली है, वह बहुत निकम्मी मिली है। उन्हें अनइकॉनिमिक हॉरिजेंट मिली है, जिनकी वजह से अपनी फिनांशियल पोसीशन को मजबूत नहीं कर सकते हैं

जो जमीन उन्हें 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत हमजैन्सी के समय में मिली, उस जमीन पर जो जनता पार्टी के राज ने कुछ शक्तिशाली लोगों ने अतिक्रमण कर दिया और वहाँ से उनको हटा दिया। केन्द्रीय सरकार को यह काम अपने हाथ में लेना चाहिए कि विभिन्न राज्यों में जनता पार्टी के शासन के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की जो जमीन ताकतवर लोगों ने हड़प ली थी, उस जमीन को उन्हें रैस्टोर कराया जाये। इसके लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए।

हमने अपने कांस्टीट्यूशन में यह तय किया था कि हम छुआछूत को दूर कर देंगे, किन्तु छुआछूत अभी तक समाप्त नहीं हुई है। इन वर्गों के लोग अभी तक मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, सार्वजनिक कुओं और नलों से पानी नहीं भर सकते हैं। उन्हें होटलों में चाय नहीं पीने दी जाती है। मेरा सजेशन है कि रीमूवल ऑफ अनटर्चीबिलिटी एक्ट, 1955 और प्रोटैक्शन ऑफ सिविल लिबर्टीज एक्ट, 1976 को एमेंड करके यह प्राविजन करना चाहिए कि ये आफोन्सिज कागनीजेशन और नान-कम्पाउंडेबल तो हैं ही, उन्हें नान-वेलेबल भी बना दिया जाये। हम देखते हैं कि छुआछूत के मामलों में कोई इन्स्टे नही लिया जाता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, डी.एस.पी. को यह अधिकार दिया गया है, लेकिन वास्तव में कोई इन्स्टे नही लता है। इस वजह से आफोन्सिज करने वालों को सजा नहीं मिलती है। इस सम्बन्ध में पूरी कोशिश करनी चाहिए कि उन लोगों को सजा मिले। अगर फिगरज को देखा जाये राजस्थान की फिगरज के बारे में मुझे पूरी जानकारी है—तो मालूम होगा कि कनविकशन बहुत लोगों को हुआ है और किसी न किसी तरीके से कामप्रोमाइस करा दिया गया है। जब तक छुआछूत करने वालों को सजा नहीं मिलती है, तब तक छुआछूत समाप्त नहीं हो सकती है।

सिर पर मूला उठाने की कप्रथा अभी तक प्रचलित है। सरकार इस सम्बन्ध में लीजस्लेशन बना कर कोई अन्य व्यवस्था करायें, इन लोगों को इम्प्लीमेंट्स मिलें

कायों और नक्सलियों की स्थिति को सुधड़ा किया जाये। हम लोगों पर यह जो बर्कत है, उसे मिटाने की कोशिश करनी चाहिए।

आज इस काम के लिए कोई सैपरेट डिपार्टमेंट नहीं है। सिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए सैपरेट डिपार्टमेंट होना चाहिए और सिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सैपरेट डिपार्टमेंट होना चाहिए। बाहर ऐसा क्या है कि कभी यह विभाग होम मिनिस्ट्री के अंदर रखा जाये और कभी एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर रखा जाये? इसका सैपरेट डिपार्टमेंट बनाया जाये और उसका कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर होना चाहिए। आज अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के वेलफेयर के लिए कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर नहीं है। जब इसके लिए कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर नहीं होगा, वह कैबिनेट के डिसिजन में सक्रिय भाग नहीं लेगा, तब कोई व्यवस्था कैसे होगी?

हमने सिड्यूल्ड कास्ट्स और सिड्यूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर बनाया है, जिसकी रिपोर्ट्स एसेम्बली में भी प्रस्तुत की जाती हैं। लेकिन उसकी रिकमेंडेशन्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या कदम उठाये गये हैं? जब हम कमिश्नर पर इतना एक्सपेंडिचर करते हैं, तो मंत्री महोदय बतायें कि उसकी रिकमेंडेशन्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या किया जा रहा है। जितनी हमारी रिपोर्टें प्रस्तुत हुई हैं जिस प्रकार उनका इम्प्लीमेंटेशन आपने किया है, उनके ऊपर क्या एक्शन लिया गया है उसके सम्बन्ध में भी हमें जानकारी दीजिए ताकि हमें पता चले कि उनके लिए क्या किया गया है और आप क्या करना चाहते हैं।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति की उन्नति करना हमारा कर्तव्य है, महात्मा गांधी ने इस बात पर विशेष जोर दिया था। हम जो उनके फालोवर्स हैं उनका यह कर्तव्य है कि अनुसूचित जाति और जनजाति की भलाई में अपनी पूरी शक्ति लगा दें, उनका शोषण न हो, उन पर जुल्म हो तो कार्यकर्ता के रूप में हम उनकी मदद करें। उन्हें फ्री लीग एंड दैरे की व्यवस्था भी नहीं की गई है। फ्री लीग एंड दैरे

को मिशनी चाहिए। इसके लिए भी कुछ न कुछ कोशिश करनी चाहिए। अभी तक इस सम्बन्ध में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। जब इस सम्बन्ध में ठोस कदम उठाएँ तभी उनकी स्थिति को सुधार सकेंगे। तभी हम आगे की योजनाओं में उनकी स्थिति इस प्रकार बना पाएँगे कि वह हमारे बराबर आ सकें।

श्री उत्तम राठौर (हिगोली): उपाध्यक्ष महोदय, श्री गिरिधर गोस्वामी ने जो प्रस्ताव रखा है वह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मुझे खुशी होती है कि इस प्रस्ताव के बारे में अपने अपने विचार व्यक्त करने के लिए हमारे सदस्यगण काफी मात्रा में उपस्थित हैं। इस देश की आजादी को बचाई जब से मिशनी है तब से हमारे देश के जो प्रमुख राजनीतिक नेता थे उन लोगों ने पिछड़ी जातियों और पिछड़ी जमातों की उन्नति के लिए प्रयत्न शुरू किया। आप को मालूम है कि जो गांधी जी का पन्ध्र सूत्री कार्यक्रम था उसमें भी उन्होंने हरिजन और विरिजन के उत्थान के लिए प्रयास करने की बात की थी। आप को मालूम है ठककर बापा ने आदिवासियों के उत्थान के लिए कितना बड़ा काम किया। इसके पहले इस देश में यह काम मिशनरी लोग करते थे जिसका नतीजा आज हम यह देखते हैं कि जब हम देश के उत्तर पूर्वी भाग में जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे कवायली लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े डाक्टर बन गए हैं और अच्छी शक्ती जगहों पर काम कर रहे हैं। इन लोगों ने जो काम किया है वह बहुत ही सराहनीय है, ऐसी हमारी भावना है।

आजादी के बाद हमारी हुकूमत ने सोचा कि यह जो प्रयास है यह बहुत कम है। अगर हम लोग इन लोगों को जल्दी उत्तर न लाए तो हो सकता है कि वे पिछड़ी जाति के लोग चाहे वे हरिजन हों या आदिवासी हों, वे पिछड़े ही रह जाएंगे और दीगर लोग उनसे काफी आगे बढ़ जाएंगे। लिहाजा उन्होंने यह कोशिश की कि कंस्टीट्यूशन में उन्होंने इसका प्रावधान रखा कि इन लोगों के लिए रिजर्वेशन आफ सीट्स किया जाय। ऐसा उन्होंने किया। लेकिन यह करने के बावजूद भी आज यह हालत है कि जो हरिजन और विरिजन के लिए आज

[श्री उत्तम रावरी]

प्रयास हो रहे हैं उस से वे खुश नहीं हैं इसकी वजह यह है कि पिछले तीस सालों में जो कुछ हम लोगों ने काम किया उससे उन लोगों में थोड़ी बहुत उनकी आकांक्षाएं बढ़ गई हैं, वे लोग जागरूक हो गए हैं और वे भी चाहते हैं कि राष्ट्र का जो प्रवाह है उसमें वे लोग सम्मिलित हों। ऐसे वक्त हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हम इन लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा दें और अपनी जो स्कीम्स हैं उनको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करें ताकि पैसा फिजूल खर्च न हो और उसका सही इस्तेमाल हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है कि जैसे इन लोगों को तीस साल तक रुकना पड़ा ऐसे ही इससे आगे भी इनको रुकना पड़ेगा। इन लोगों के लिए हमें एजूके-शनल फौंसिलिटीज देनी पड़ेगी और वह हम लोग दे रहे हैं। लेकिन इस के साथ साथ इनके लिए टेक्निकल एजूकेशन भी शुरू करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इनमें से जो ग्रुप आउट्स होते हैं वे कोई अच्छा धन्धा नहीं पा सकेंगे। इन लोगों को हमने खेती दी है लेकिन खेती के साथ साथ अगर इरीगेशन फौंसिलिटीज नहीं हुईं तो वह खेती ज्यादा कुछ उपज उनके लिए नहीं कर सकेगी। लिहाजा यह जरूरी है कि उनको इरीगेशन की फौंसिलिटीज भी दी जाय।

यह खुशी की बात है कि सरकार ने यह जो ट्राइबल सब-प्लान बनाया है और कम्पोजिट प्लान हरिजनों के लिए बनाया है इसके द्वारा इनके लिए काफी काम हम लोग करना चाहते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि जो लोग इन स्कीमों में काम करने वाले हैं वे डेडीकैटेड हों। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जैसे पहले होता रहा है हमारा पैसा फिजूल खर्च होगा। जो लोग माडिया गाँव के बीच काम करते हैं, उस एरिया में आप किसी अफसर को भेजते हैं तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि वहाँ पर उन्हीं अफसरों को भेजा जाए जिनको माडिया डायलेक्ट आती है। उसी तरह से जिनको भीलों में भेजना है उनको अगर भील भाषा न आये तो वे वहाँ पर जाकर उस काम को अन्जाम नहीं दे सकेंगे जिसके लिए उनको वहाँ पर भेजा गया है। इस-लिए मेरा निवेदन है कि जब इन प्रोजेक्ट्स

के लिए आप अफसरों की भर्ती करते हैं तो उसमें उनको ही भर्ती किया जाना चाहिए जिनको कम से कम एक ट्राइबल डायलेक्ट आती हो। वही लोग वहाँ पर जाकर अपना काम सही ढंग से अन्जाम दे सकेंगे।

मैं एक चीज की ओर और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। एक तरफ तो आदिवासी और हरिजन यह चाहते हैं कि उनको ऊपर उठाने के लिए जल्दी से जल्दी कदम उठाए जाएँ और दूसरी ओर आज हमने यहाँ पर श्री विरधीचन्द जैन का भाषण भी सुना। एक तरफ उन लोगों को आप जो सहूलियतें देना चाहते हैं वह भी उनको नहीं मिल पाती है और दूसरी ओर उनके खिलाफ दोषपूर्ण वातावरण पूरे देश में फैलाने की कोशिश हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि यह वातावरण उनके खिलाफ न फैले तो हमारा कर्तव्य है कि इन सारी स्कीमों को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए ताकि कम से कम वक्त में उनको हम आगे ले जा सकें। तीस साल तक जैसा आपने उनको रोका, उनकी दो पीढ़ियाँ निकल गई हैं, नतीजा यह है कि आज विरधीचन्द जी कहते हैं कि बाप को रिजर्व कोटे से नौकरी दे दी तो फिर बेटे को क्यों देना चाहते हैं? मेरा निवेदन है कि हमारी कई पीढ़ियाँ गुजर गई हैं जिनको समाज से कुछ भी नहीं मिला लेकिन आज अगर दूसरी पीढ़ी को कुछ मिल रहा है तो शिकायत की जा रही है। अन्त में मेरा आपसे निवेदन यह है कि जब आप हरिजन तथा गिरिजनों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो एक ऐसा तबका भी इस देश में है जिसको हम जरायम-पेशा, क्रिमि-नल ट्राइबल बोलते हैं। उनकी संख्या इस देश में बहुत ज्यादा है। अगर इनके लिए भी आप कुछ करना चाहते हैं तो मैं मकवाना जी से प्रार्थना करूँगा जो कि स्वयं बैकवर्ड क्लासेज से सम्बन्ध रखते हैं और एक बहुत अच्छे नौजवान मंत्री भी साबित हुए हैं, कि जो आपकी सेन्सस चल रही है उसमें आप जरायम-पेशा, घूमक्कड़ जाति के लोगों की सेन्सस भी करा लें ताकि अगर बैकवर्ड क्लासेज कमीशन कोई सहूलियत देने की सिफारिश करे तो वह उनको मिल सके। मुझे उम्मीद है मकवाना जी इन चीजों पर जरूर ध्यान देंगे।

बाहिर में मैं योमांगो जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने यहां पर बड़ा अच्छा प्रस्ताव पेश किया।

SHRI ARJUN SETHI (Bhadrak):
Mr. Deputy-Speaker, Sir, at the outset I must thank, the hon. Member, Shri Giridhar Gomango, who is from Orissa, for bringing this Resolution before the House for urging upon the Government to take immediate steps to implement the policies and programmes adopted in Sub-plan for tribal areas and the Component plan for Scheduled Castes. This has given us an opportunity to review the position with regard to these programmes meant for the upliftment of these poor people.

So far as the action taken by the Central Government as well as the State Governments under the Sub-plan for tribal areas and the Component plan for scheduled castes is concerned, it is a matter of regret that the report of the working group on tribal development during mid-term plan 1978—83 reveals that some of the States have not even prepared the plans. For the information of the House, I am stating what is mentioned in this report. So far as Assam is concerned, they have 19 integrated tribal development projects. When this Group have gone into the details of the review of the working of the Plans, they found that out of 19, they have only prepared one. Similarly Bihar. Out of 14, they have prepared only ten. Similarly, there are States like Madhya Pradesh; of course, it has comparatively better performance, that is, out of 42 they have prepared 40.

Sir, from these, it is found that some States, have not been able to and they are not adequately prepared to prepare these plans which are meant for the tribal development and also component plan. So far as component plans are concerned, it is seen that most of the States of the country have not prepared their plans. So, I would like to

know from the Hon. Minister whether in between they have prepared their plans which is very much essential in the interests of the country as well as the interests of these particular sections of the people.

Sir, many Hon. Members have already stated many problems and highlighted the points which are very much important for the successful working of these Projects.

Sir, so far as money is concerned, where has the money reached during this plan period, 1978—83? It is estimated that Rs. 300 crores are available. They are sanctioned and it is well and good. But, so far as the evaluation of the Projects is concerned, I must stress that it should be done and it should be done in a meaningful manner.

Sir, I like to point out and quote some sentences from this Working Group which had gone into the working of these Plans. They said:

“Implementation of programmes depends largely on quality of personnel. The approach to planning in tribal areas is integrated and wholistic in contrast to the sectoral approach elsewhere. It will require continued personal involvement on sensitive individuals. Therefore, some institutional arrangements like creation of sub-cadres in States having substantial tribal areas appears a natural corollary of the new effort. The personnel system here should be simple with clear chain of command and de-overspecialised. Adequate compensation and fiscal facilities should now be urgently provided. Orientation of personnel at all levels should receive special attention. The cost of improvement in administration should be met by the Central Government under the first proviso to Article 275(1) after taking into account the devolution of the Finance Commission and plan provision in the States and Centre.”

[Shri Arjun Sethi]

Sir, these are the views expressed by this Working Group. To my mind, this is very much essential for the successful implementation of the programmes as well as the money which has been sanctioned for the welfare of the weaker sections of society.

Sir, it is seen that people living below the poverty line, majority of the people, come from this category, from the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. So, at least a time-bound programme should be there or at least some sort of approach or some sort of atmosphere must be there so that within that period of time, the lot of at least 50 per cent of the people, who are living below the poverty line could be improved and they could be benefited out of this Plan for whom this is mean.

Sir, similarly there are other problems. Since I have very limited time at my disposal, I would like to point out one aspect of the problem, as far as education of the children of Scheduled Castes and Scheduled Tribes are concerned. As my friend Mr. Rathod has pointed out, one should not grudge if children of SCs get some stipends or scholarships.

If one child gets the scholarship, the other child of the same SC parent should not be deprived of it. In this connection, the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, in his report for 1977-78, has mentioned this—which I quote for the benefit of the hon. Minister as well as Members. The report says:

“There appears to be absolutely no justification in denying the post-Matric scholarships to some Scheduled Castes/Scheduled Tribes children, to which their brothers and sisters are eligible, simply because they happen to be the third or fourth children of their parents. The restriction of only two children of the same parents/guardians for the award of post-Matric scholarships should, therefore, be removed from the regulations and all the children

of the same parents/guardians pursuing post-Matric education should be awarded scholarship, if they are otherwise eligible.”

I again thank the hon. Minister; and urge upon the Government that they must look into the recommendations of these Study Groups as well as the Report of the Commissioner for SCs and STs., because they have made very good recommendations. But so far as implementation part of the thing is concerned, it is lacking. I request the hon. Minister to look into the matter personally.

श्री भेरावदन कैं. गधावी (बनासकांठा) :
उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ी अच्छी बात है कि समाज के सबसे गरीब और पिछड़े तबके की बात आज हम कर रहे हैं और यह भी सही है कि हमारे जितने भी देशभक्त, बड़े-बड़े नेता हुए और आज भी हैं, जब बात करने की बात आती है तो हरिजन और आदिवासियों का नाम सबसे फोर फ्रंट पर लेते हैं। 30 साल से आजादी के बाद यह कहा जाता है कि हमने बहुत तरक्की की है और वाक्यी हमने तरक्की की है। बड़े-बड़े इरीगेशन प्रोजेक्ट बने हैं, बड़े-बड़े रोड बने हैं, बड़े-बड़े बंदरगाह बने हैं, बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां बनी हैं, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन आप देखें कि जितना भी करोड़ों, अरबों, खरबों रुपया हमने लगाया है उसका मुनाफा, उसका बनीफिट आदिवासी इलाकों में या पहाड़ों में जंगलों में जो लोग बसते हैं, उन तक नहीं पहुंचा। देहातों में जब देखते हैं तो क्या देखते हैं कि हरिजनों की बस्ती एक ओर है, आज भी अछूत आदमी है अछूत बस्ती है और जो इलाका होता है उसके भी अछूत गिना है और आदमी को भी अछूत गिना जाता है। मैं तो यह मानता हूँ कि 1971 के बाद ही हमने इसकी ओर पूरा ध्यान देना शुरू किया है, इसके पहले बातें बहुत हुईं। गांधी जी को तो हमने देखा नहीं, पर एक आदमी ने पूरे हिन्दुस्तान और पूरी दुनिया में इन तबकों को सामने रखा, लेकिन उनके बाद करोड़ों आदमी पैदा हो गए जो गांधी जी का नाम लेते रहे;

मगर आज भी हम देखते हैं कि आदिवासी हरिजन नाइट सायल उठाकर जा रहा है। हम बुलाते हैं, दो रुपये महीने में वह मैला साफ करके जाता है।

गवर्नमेंट इसके लिए कुछ नहीं कर सकती है। गवर्नमेंट कानून बना सकती है और कह सकती है कि म्यूनिसिपैलिटीज को इस प्रथा को बन्द करवाना चाहिये और जो नहीं करवाती है उनको उसको सुपरसीड करने का अधिकार होना चाहिये। लेकिन आप कहते हैं कि सीवेज बनाएं, गट्टर बनाएं। लेकिन आप कानून क्यों नहीं बनाते हैं। जहां कहीं भी नाइट सायल या मैला सिर पर उठा कर ले जाने की प्रथा हो वहां की म्यूनिसिपैलिटी को आपको सुपरसीड करना चाहिये और जो दोषी लोग हैं उनको आपको सजा दिलानी चाहिये। इस से बड़ा कलंक कोई दूसरा नहीं हो सकता है।

जहां तक रिजर्वेशन का सवाल है पॉलिटिकल प्राजैक्शन के लिए आपने रिजर्वेशन दिया है। एम्प्लायमेंट में भी आपने रिजर्वेशन दिया है, पढ़ाई के लिए भी उनको कुछ सुविधायें दी हैं। लेकिन उन की हालत क्या है? सात या दस साल का जो बच्चा होता है वह भी स्कूल नहीं जा सकता क्योंकि पहाड़ से उसको लकड़ी ला कर बाजार में बेचने जाना पड़ता है, खेत में जा कर काम करना पड़ता है। बच्चा अगर स्कूल चला जाएगा तो पूरी फौमिली भूखी मरेगी।

जमीन भी आप उनको बंजर देते हैं। अच्छी जो जमीन है और जो सरकारी जमीन है उस पर तो बड़े-बड़े जमींदारों ने कब्जा कर रखा है। इन लोगों को आप वह जमीन देते हैं जो बंजर होती है, जहां उपज नहीं हो सकती है। फिर भी आप आंकड़ों पेश कर देते हैं कि इतनी जमीन आपने उनको दे दी है। पढ़ाई आदिवासियों में कहां है?

आप बताएं कि सेंट्रल सैक्रेटॅरिएट में कितने आदिवासियों के आइ. ए. एस. अधिकारी हैं, उनका परसेंटेज क्या है और कितना उनका रिजर्वेशन है? कितने हरिजन आइ. ए. एस., आइ. एफ. एस.

और आइ. पी. एस. के हैं यह भी आप बताएं। परसेंटेज के साथ उसकी आप तुलना करें। क्या उनका कोटा पूरा होता है? निचली श्रेणी में, चपड़ासियों की श्रेणी में अगर होता होगा तो जरूर होता होगा और वह भी हरिजनों का और आदिवासियों का नहीं। इसी तरह क्लर्कों की बात है।

उनकी सामाजिक हालत ऐसी है कि उनके बच्चे पढ़ने नहीं जा सकते हैं फिर चाहे आप उनको कितनी भी सुविधायें क्यों न दें। गुजरात में कुछ शुरुआत हुई है। वहां पर यह कहा गया है कि हरिजन या आदिवासी का बच्चा प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई के लिए जाएगा तो उसके घर वालों को कुछ राहत दी जाएगी? क्यों नहीं आप उनके माता पिता के लिए भत्ते की व्यवस्था करते हैं ताकि वे अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें और बच्चा जो काम कर लाता है उससे वे कुछ कम्पेंसेंट हो सकें।

मिनिसट्री बनाने की बात यहां कही जा रही है। यह एक पॉलिटिकल बात है। मैं सहमत नहीं हूँ। उनके लिए मिनिसट्री आप बनायें या न बनाएं लेकिन कम से कम एक डिपार्टमेंट तो ऐसा बनाएं जो उनके हर प्रकार के डिबेलपमेंट को देख सके और सुझाव दे सके।

कम्पानेंट प्लान बनाया गया है और साई करोड़ हम ने स्टेट्स को दिया। नतीजा क्या हुआ? अभी हमारे माननीय सदस्य संडी जी ने या किसी अन्य माननीय सदस्य ने पढ़ कर सुनाया कि स्टेट्स ने अपने प्लान तैयार ही नहीं किए। जब हम ने उनको थोड़े से पैसे दिए तो प्लान तैयार हो कर आ रहे हैं। पांच सात गुना और यहां तक कि 17-18 गुना बड़े प्लान बन चुके हैं। ऐसा इसलिए हो सका कि उन लोगों को भी लगा कि केन्द्र कुछ अधिक मदद दे रहा है। इसलिए वर्रिकिंग ग्रुप ने सुझाव दिया एक हजार करोड़ और दो हजार करोड़ रुपये का प्रादधान करने का छठे प्लान में। छठा प्लान 1 लाख 59 हजार करोड़ का है। उस में से केवल तीन हजार करोड़ से कुछ नहीं होगा। मैं कहूंगा कि यह कम से कम पांच

[श्री भेरावदन के. गधावी]

हजार करोड़ तो होना चाहिये। यही तबका है जिस की मेहरबानी से हम गद्दी पर बैठे हैं। उनके भँडों से, उसके बाँट से हम यहां बैठे हैं। आदिवासी हरिजन सही मानों में हमारे साथ हैं। राष्ट्र के जीवन में उनका सर्वाधिक महत्व है। अगर वे चाहते तो कह सकते थे स्वर्ण समाज को लोगों से कि हम तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहते। लेकिन उन्होंने हमारा साथ दिया है। 1930 या 1932 में जब गांधी जी ने उपवास किया था तो उन्होंने संपरेंट इल-क्टोरेट की बात भी छोड़ दी थी।

हिन्दुस्तान की सबसे ज्यादा अहमियत की सेवा, पॉलिटिकली या सोशली किसी ने की है तो वह आदिवासियों और हरिजनों ने की है, उसे हम सब भूल जाते हैं। मैं मिनिस्टर लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप जिन बड़े समारोहों में जाते हैं, उन को बड़े व्यापारी करते हैं, वह जमींदारों में होते हैं, इंडस्ट्रीयलिस्ट्स में होते हैं। आप लोग चकाचाँध के वातावरण में जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या कभी किसी आदिवासी या हरिजनों की बस्ती में जाते हैं और देखते हैं कि वहां क्या होता है ?

कल हम जो बात कह रहे थे कि किसानों को रैमनरॉटिव प्राइस मिलनी चाहिये, लेकिन किसानों में आप देखें कि प्रारम्भिक लेबर में कौन काम कर रहे हैं ? उसमें 50 परसेंट हरिजन लोग काम करते हैं।

मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूँ कि आज समय आ चुका है, इस प्रस्ताव की तहे दिल से ताईद करता हूँ और सराहना करता हूँ, और आपको इस बारे में कदम उठाना चाहिये।

एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि आज आप उन्हें देहातों में जमीन दे रहे हैं रहने के लिये। मेरा कहना है कि मेहरबानी कर के उन्हें अलग जमीन मत दीजिये। ऐसा करने से उनकी अलग बस्ती बन जायेगी। मेरा कहना है कि शहरों में जो को-आपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बन रही है, इसमें ऐसा कानून बनाया जाये

कि कम-से-कम 25 परसेंट उसमें हरिजन और आदिवासी सेम्बर होने चाहिये ताकि सभी साथ रह सकें। ऐसा न कर के आप अलग से फिर उनकी बस्ती बना रहे हैं। मेरा कहना है कि हर सोसाइटी में वह लोग होने चाहिये ताकि समाज के साथ वह मिक्स हो सकें और सोशली उनका एमलगेमेशन होना चाहिये। लेकिन आज वह होता नहीं है। उनके सबबों के साथ रहने का मौका देना होगा, यह मेरा सुझाव है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मंत्री जी सरकार का ध्यान इस ओर जरूर दिलायेंगे। मुझे अपनी बात कहने का जो मौका आपने दिया है, उसका मैं अभिवादन करता हूँ।

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Jadavpur): May I ask a clarification? You have been kind enough and the House extended the time-limit till 5.30. Unless the hon. Minister replies and the hon. Mover replies it will not be completed. I want that the next resolution should at least be moved. Let it be assured; at least one minute should be there so that I can move my resolution. The spokesman of my party has strongly supported the Resolution now under discussion; there is no question of scuttling it. From two hours it is now going to be seven hours. Let it be seven hours. But give me one minute.

SHRI SATISH AGARWAL (Jaipur): So far as the present Resolution is concerned, it is an important one; nobody wants to scuttle the debate. But the impression should not go round the country that the government do not want a discussion on the second resolution regarding the Presidential form of government.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: I am inviting a debate in the highest body; let us have this debate... (Interruptions)

AN HON. MEMBER: Sometimes the next resolution never came up.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: It has got the first priority in ballot.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Without completing this, how would it be correct to move to the other resolution: We have got so many speakers and the Minister has got to intervene and the Mover has the right to reply.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: Subject to the availability of allotted time, you regulate the number of speakers.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Everybody takes his own time.

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR (Ratnagiri): You have said on earlier occasions that you would restrict the number of Members in general discussion.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am restricting, I am trying also. Therefore I am appealing to them to take less time.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: You should allow time to me so that my resolution remains alive.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I appeal to hon. Members to take not more than five or six minutes, it should be possible to confine oneself to this limit.

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR: When we speak on Bills, you tell us that not all can speak because you are bound by the time allotted by the Business Advisory Committee; you do not allow all persons to participate in debate.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Not in the private Members's business.

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR: You had 16 Members, now you say that you have 19 Members who want to speak.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Babu Lal Solanki, please.

(Interruptions)

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR: Only private member's business.

(Interruptions)

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR: Has the Government decided not to take up this resolutions? (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I do not know what the Government has decided or what the Government has not decided.

(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Government is not to guide me. Government is not guiding me in these things. (Interruptions)

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR: Let us not attribute motives. We will try to complete it.

(Interruptions)

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR: This discussion would be completed.

(Interruptions)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: This discussion... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: What he says, please listen. I will ask him.

(Interruptions)

SHRI CHITTA BASU (Barasat): It would be an injustice to the House, to the Members because this is the resolution which received.....

(Interruptions)

AN HON. MEMBER: Mr. Balanandan's resolution has got to be brought.

(Interruptions)

AN HON. MEMBER: Mr. Balanandan is not here.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Let him make out the point.

SHRI CHITTA BASU: This resolution has got priority No. 1 for this session. As a matter of fact, we are discussing that resolution from the last session. Do you mean to say that,— in the next week, which is the bills week, i.e. when Friday is Private Member's Bills day. Therefore,— there will be no scope for discussion of this resolution and Sir, do you mean to say, Sir,—I appeal to you as the guardian of the House.

(Interruptions)

SHRI CHITTA BASU: Sir, can it be a *bona fide* intention on your part that a particular resolution could not be discussed during the whole session? ... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I would say, it is not deliberate. We have now extended the time up to... (Interruptions)

SHRI CHITTA BASU: I know, it cannot be your intention. Your intention is that the resolution also needs discussion. Therefore, Sir,... (Interruptions)

AN HON. MEMBER: The other resolution... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: This is lack of co-operation.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: Let the Treasury Benches say that we are non-cooperating with them openly. (Interruptions)

SHRI CHITTA BASU: We want discussion on this important matter once, also a dialogue, a debate, this resolution has got the first priority. And the other thing is going on. I appeal to everybody, appeal to you, to hon. Members, appeal to everybody. (Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER: Order, Order, Please.

We will continue this resolution up to 5.20. We will take up your matter at 5.20.

Now, Shri Babu Lal Solanki.

(Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER: We will take it up at 5.20. You make an appeal to them.

(Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER: Now, Mr. Babu Lal Solanki....

(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I will tell you at 5.20.

I will ascertain the views of the House at 5.20

MR. DEPUTY SPEAKER: I will take the pleasure of the House at that time.

(Interruptions)

श्री बाबू लाल सोलंकी (मुरेना) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री गोमाना जी आदिवासियों और हरिजनों के उत्थान के लिए जो रोजगार योजनाएं लागू हैं, मैं उस का समर्थन करने के लिए बड़ा हुआ हूँ। जो साँ करोड़ रुपये की राशि कम्पोजिट प्लान के लिए प्रत्येक राज्य के लिए भारत सरकार ने स्वीकृत की है, हरिजन और आदिवासियों के हित में इस राशि का किस प्रकार से बंटवारा किया जायगा ? इस के पूर्व इसी तरह से हरिजन और आदिवासियों के लिए भी राशि स्वीकृत की जाती थी क्या उन राशियों का सही सही उपयोग हुआ या नहीं ?

2. छुआछूत के लिए कई राज्यों ने सर्वेक्षण किया है और कई राज्यों ने तो इसके लिए अलग से न्यायालय भी खोल रखे हैं। टिबर कमीशन ने भी इस के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। प्रत्येक राज्य में इस तरह के न्यायालय स्थापित होने चाहिए। यदि नहीं हुए हैं तो इस का क्या कारण है और भारत सरकार दूसरे राज्यों को भी निर्देश दे कि वे अपने राज्यों में न्यायालय कायम करें।

3. गाँववासी और हरिजनों की शिक्षा के लिए जिला स्तर पर या संभागीय स्तर पर इंटर स्कूल व कॉन्वेंट स्कूल राज्य शासन खोले। जो हरिजन व आदिवासी छात्र पढ़ने में अच्छे विद्यार्थी हों उन से या दो से लड़कों को अच्छी शिक्षा दी जाय जिस से वह आगे बढ़ कर आई. ए. एस. और आई. पी. एस. की परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो सकें।

श्री जयशंकर सिंह केशव (गाँववाला) :
उपाध्यक्ष महोदय, इस देश की एक ऐसी परम्परा रही है जो इस देश में मेहनत करता रहा है, उस को उतना ही नीचा स्थान मिला है। उसका हजारों हजार साल से इस देश में शोषण हुआ है। यहां के शास्त्रों की व्यवस्था में जिस दिन से बच्चा जन्म लेता है शूद्र के घर में उसी दिन से उस का नाम गन्दे से गन्दा रखा जाता है। उसे गाँव के बाहर बसाया जाता है। उन के सारे धन्धे नीचे समझे जाते हैं। यही कारण है कि इस देश में हजारों हजार साल से करोड़ों मेहनत करने वाले शूद्र, यहां के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग, यहां के पिछड़े वर्ग के लोग पवर्धित रहे हैं और आज उन के आर्थिक ऋंचे में ही सुधार की आवश्यकता नहीं, आज उन्हें मान सम्मान की भी आवश्यकता पड़ गई है। मैं तो यह कहता हूँ कि इस देश में इस बारे में अपनी जिम्मेदारी से न इधर के लोग बच सकते हैं न उधर के लोग बच सकते हैं। किसी ने इस बात का प्रयास नहीं किया कि इतना महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, करोड़ों करोड़ लोगों के जीवन और मरण का सवाल है, लेकिन उस के लिए हम अलग से कोई मंत्रालय कायम नहीं कर सके। हमें इस के लिए अलग से मंत्रालय कायम करना चाहिए ताकि हम उन पर गंभीरता से विचार कर सकें।

जिस देश में यह व्यवस्था रही हो कि—

पूजिय विप्र सकल गुण हीना ।

शूद्र न पूजिय गुण ज्ञान प्रवीणा ॥

जिस देश में यह व्यवस्था रही हो कि—

छाल गंवार शूद्र पशु नारी ।

ये सब ताड़न के अधिकारी ॥

जिस देश में यह व्यवस्था रही हो कि—

जें वर्णाधम तौल कुम्हार ।

श्वपच किरात कोल कलवारा ॥

उस देश के अन्दर एक तरह से हल्के ढंग से कोई व्यवस्था चला देना कारगर नहीं होगा। आज अगर हम आरक्षण पूरा नहीं कर पाए तो क्या यह हरिजनों के साथ क्या नहीं होगा? मेरे एक साथी ने कहा कि भारत मां के सपूत, भारत मां के रूप की स्त्रियां अपने सिरों पर मीला और टट्टी उठा कर चलती हैं, उन को भी आज हम समाज में मान और सम्मान नहीं दे पाए हैं। गांधी के इस देश में परियार के इस देश में, अम्बडेकर के इस देश में यह क्या व्यवस्था है? आज क्या समाज हो रहा है? हरिजन नाकिरवों में रखे जाते हैं तो टम्पोरेरी रखे जाते हैं, कोटा पूरा किया जाता है। एडेहाक बीसस पर रखे जाते हैं, थोड़े दिन बाद निकाल दिए जाते हैं। हरिजन का एम्पाइन्टमेंट पहले ही दिन से परमानेंट एम्पाइन्टमेंट होना चाहिए ताकि उस की जिन्दगी के साथ बिलवाड न हो सके। आज हिन्दुस्तान में जहां कहीं किसी का प्रोमोशन होता है वहां सारी हाई कोर्ट्स और अदालतें भरी हुई हैं प्रोमोशन के खिलाफ रिट हो रहे हैं। कांस्टीच्यूशन में अम्प्लोइमेंट होना चाहिए, आर्टिकल 226 में अम्प्लोइमेंट होना चाहिए। इस प्रकार के रिट पर पाबन्दी होनी चाहिए क्योंकि ये कांस्टीच्यूशन में दिए हुए प्राविजन के खिलाफ हैं। इस तरह से आज हमारा कोटा, हमारा रिजर्वेशन पूरा नहीं होता है। जी.ओ. के द्वारा इस काम को किया जा रहा है। अफसर लॉन तर्क के नीचे जी.ओ. लगाए रहते हैं लेकिन हरिजन आदिवासियों को मौका नहीं मिल पाता है। मैं समझता हूँ इस जी.ओ. से काम चलने वाला नहीं है, इसको ऐक्ट में रखना चाहिए और उसी के मुताबिक रिजर्वेशन किया जाना चाहिए। और जो भी अफसर हैं वे अगर रिजर्वेशन को पूरा न करें तो उसके लिए ऐक्ट में ही पहला प्राविजन होना चाहिए कि उनको कम से कम तीन साल की सजा दी जाएगी। जब

[श्री जयपाल सिंह कश्यप]

आप ऐसी व्यवस्था एकेट में कर देंगे तो मैं समझता हूँ इन लोगों के साथ न्याय हो सकेगा

17 hrs.

उपाध्यक्ष महोदय, अभी बहुत सी जातियाँ इसमें शामिल होने से रह गई हैं। उत्तर प्रदेश में रामपुर तथा अन्य जगहों पर बहुत सी ऐसी ट्राइब्स हैं जिनको सरकार ने माना है कि वे ट्राइब्स हैं लेकिन न तो वे शेड्यूल्ड कास्ट में हैं और न शेड्यूल्ड ट्राइब्स में हैं। इस तरह की अनेकों जातियाँ मोस्ट बैकवर्ड हैं जैसे गड़रिया, नाई, बढई, लोहार, लोध, मल्लाह, बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की रिपोर्ट में भी यह कहा गया है लेकिन उनको कोई मौका नहीं मिल सका है। उनको भी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की तरह ही सुविधा मिलनी चाहिए, उनको भी आरक्षण, रिजर्वेशन की सुविधा दी जानी चाहिए। काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट पर फौरन अमल होना चाहिए और सरकारी नौकरियों में आवादी के अनुपात से उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। उन लोगों के उद्योग-धंधे सारे के सारे चौपट होते जा रहे हैं। उनको वैज्ञानिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल हेल्प देने वाली कार्पोरेशन्स की स्थापना स्टेट्स और केंद्र में भी होनी चाहिये, लेकिन यह तभी सम्भव होगा जब कि हमारा मंत्रालय अलग से हो। मेरा सुझाव है कि एक सेमिनार रखा जाय जिस में इस बात पर चर्चा हो कि उन के धन्धे कैसे चलें। कुम्हार का धन्धा मिट्टी से बर्तन बनाने का है, इसी तरह से लोहार, बढई के धन्धे हैं, इन के धन्धे के सम्बन्ध में विचार होना चाहिये। इसी प्रकार से जो वनवासी हैं, उन को अपने क्षेत्रों में साधनों से महसूस किया जा रहा है, वे आज जंगलों में लकड़ी नहीं ले सकते और उन के पास रोजी रोटी का कोई दूसरा साधन नहीं है। अगर आप उन को कोई साधन नहीं दे पायें, तो उन में पिछड़पन का जो अन्तर है, वह और ज्यादा बढ़ता जायगा।

छुआछूत दूर करने की बात हम बहुत करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि

थोड़ा सा पैसा मिल जाने से किसी का वर्ण बदल नहीं सकता। आदिवासी और पिछड़े वर्ण के लोग जिन को आज कुछ मौका मिल गया है, उन की जाति भी बदल गई हो, ऐसी बात नहीं है। आज भी उन को उसी निगाह से देखा जाता है। आज कोई मेहतर, भंगी का लड़का चाय की दुकान या होटल खोलकर नहीं चला सकता है। त्रिपाठी या शुक्ला ही रेस्टोरेंट चला सकता है। इस लिये आर्थिक समता के साथ-साथ वर्ण व्यवस्था को भी हमें छोड़ना होगा। नामों के साथ जो दुम लगी रहती है, जैसे त्रिपाठी, शुक्ला, कश्यप, उस पर पाबन्दी होनी चाहिये ताकि जातिवाद मिट सके। इस देश में इस प्रकार का परिवर्तन तभी सम्भव हो सकता है जब कि इस के लिये अलग से मंत्रालय हो।

यही कहते हुए मैं धन्यवाद देता हूँ।

*SHRI C. PALANIAPPAN (Salem):
Mr. Deputy Speaker, Sir, on the Resolution of Shri Giridhar Gomango, I wish to say a few words on behalf of my party the Dravida Munnetra Kazhagam.

Sir, this House is aware of the fact that out of the total population of this country the scheduled castes and the scheduled tribes form 25 per cent. The Central and the State Governments have been formulating schemes for their economic and social upliftment. But, unfortunately, only 9 per cent of the total outlay on social welfare schemes by both the Centre and the State Governments, goes for the schemes meant for the progress of scheduled castes and scheduled tribes. In these circumstances, I would like to suggest that immediately after their birth they should become the adopted children of both the Centre and the State Governments. That alone will help them to have a prosperous future and also ensure that their future generations are placed in a better position.

The very bane of Hindu society has been its division on the basis of castes. These downtrodden people, who have

been living the life of bonded labour and as abject slaves, continue to be economically backward. They are in the lowest level of our society. For nearly 6 decades, Thanthai Periyar in Tamil Nadu awakened the conscience of the people of Tamil Nadu on the gross in-justice being perpetrated on a section of the people. Dr. Ambedkar introduced the scheme of reservation in the Government jobs for them. For nine years, from 1967 to 1976, Arignar Anna and following in his footsteps, Dr. Kalaignar Karunanidhi utilised the government machinery for implementing progressive schemes which would bring them on par with others. Many States in our country are aware of the progress made by Tamil Nadu during this period of Dr. Kalaignar Karunanidhi's administration in Tamil Nadu.

In 1952 there were only one or two officers belonging to the scheduled castes and scheduled tribes in the Central services. Today there are 4 crores of educated youths belonging to scheduled castes and scheduled tribes. Yet in the All India Radio one post reserved for the scheduled tribe is remaining vacant for many months now. The people belonging to SC/ST communities pass competitive examinations creditably. They are in no way less talented than others. Yet, we find that in the P & T Department equal opportunity is not given to the employees belonging to SC/ST communities, particularly in Class I and Class II posts. There is not even one officer at the higher levels of our Embassies and High Commissions and for that matter there is not even one High Commissioner or Ambassador abroad, who belongs to SC/ST. It is a matter of great pleasure that in the Supreme Court there is one Judge belonging to the scheduled caste. The credit for this should go to Dr. Kalaignar Karunanidhi who saw to it that in the Tamil Nadu High Court one from the scheduled caste is appointed as a Judge. He has now become the judge in the Supreme Court.

There should be greater opportunities for these people in Salem Steel Plant, Neiveli, Burn and Co. and other public and private sector undertakings in Tamil Nadu, particularly for those having adequate qualifications and competence. In Salem district, the problems of scheduled tribes living in Erchad, Kalrayanmali and Kollimalai and also those in Ooty and Kodaikanal are somewhat peculiar. We have to ensure that their problems are looked into properly. I would refer in brief to the terror that is being created in Erchad Hills by two plantation-owners. They are suppressing these tribes at their gunpoints. When they go to the Police Station to report against such atrocities, an impression is created that they have gone to capture the Police station, so that immediately lathi-charge is resorted to. This is what has happened recently. These people are being driven hither and thither like dumb cattle. I would like the Central Government to inquire into these things and take remedial steps immediately.

As I had stated earlier, the division of Hindu society into four castes has led to this kind of serious consequences. The religious teachings instil in the minds of people that their deeds in the last birth determine their present living standards. The people are taught to renounce their mundane desires. They are told that desires multiply in millions leading to discontent and frustration. Their initiative is curbed by such a fatalistic approach to facts of the present-day life. They are always reminded of the cycle of births and deaths and that every action has a reaction in the other birth. This has led to the creation of a smug atmosphere throughout the country for the people to put up with all kinds of difficulties. Even after 33 years of our independence we have not yet been able to usher in an era of social resurgence. Before I conclude I would recall what President Abraham Lincoln of the U.S.A. once said. He was walking in his garden.

[Shri C. Palaniappan]

He happened to see a young girl in tears. When he asked her about her problem, she told him that her school had gone a little earlier. Abraham Lincoln took the young girl on his shoulders and dropped her in the school. While returning, he murmured to himself that he has enriched himself by this small act of kindness. I would appeal to all the 500 Members of this House that, until the 15 crores of people belonging to scheduled castes and scheduled tribes are treated like human beings and are given equal status in the society, economically and socially, they will not themselves be able to lead a lofty life.

श्री दिलीप सिंह भूरिया (भाबुआ) :
माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव लाए हैं यह इस देश के बहुत ही पिछड़े हुए लोग, आदिवासी, हरिजन जो सदियों से दबे हुए हैं, अशिक्षित हैं और गरीबी की रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके लिए है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे साथियों ने काफी कुछ कहा। 1977 से 1979 तक का समय आदिवासी-हरिजनों के लिए काला समय था जब जनता पार्टी उनका रिजर्वेशन खत्म करने जा रही थी, लेकिन फिर से कांग्रेस पार्टी जीती और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में फिर से वीस सूत्री कार्यक्रम लागू किया और हरिजन-आदिवासियों में नया जोश और उत्साह पैदा हुआ। सब प्लान आपने बनाए। इनके माध्यम से उन गरीबों के लिए आपने पैसा की व्यवस्था की। लेकिन इनको कौन एक्सीक्यूट करता है और यह पैसा कहां जाता है? यह दूसरों की जेब में जाता है। आपको इसके लिए कोई नई व्यवस्था करनी पड़ेगी। हरिजनों और आदिवासियों के जिम्मे इनको एक्सीक्यूट करने का काम सौंपना चाहिए और अशासकीय बोर्ड इसके लिए बनाना चाहिये।

जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है वहां के गरीब आदमी अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज नहीं सकते हैं। उनके बच्चे खेती में उनका हाथ बंटाते हैं। लड़के

लकड़ी बचने के लिए जाते हैं, ढोर चराने का काम उनका है। अगर वे अपने लड़कों को पढ़ाएँ तो उनका काम नहीं चल सकता है। दूसरों से उनको मजदूरी करवानी पड़ेगी। इस वास्ते आपको उनके माता पिता को अनुदान देने की व्यवस्था करनी पड़ेगी ताकि उनके बच्चे पढ़ लिख सकें।

मध्य प्रदेश में आदिवासियों की एक करोड़ पापुलेशन है। वे शराब के आदी हैं। धार्मिक कामों में वे शराब का उपयोग करते हैं। मध्य प्रदेश गुजरात और राजस्थान में जहां जहां पहाड़ी इलाके हैं वहां आदिवासी रहते हैं। वे तीर कमानों का उपयोग करते हैं। बिहार सरकार ने उनके तीर कमानों पर पाबन्दी लगा दी है। अब वे शोषण के खिलाफ लड़ नहीं सकेंगे। वे राम और हनुमान के भक्त हैं और उनसे आपको तीर कमान छीनने नहीं चाहियें। वे गरीब हैं, बन्दूक, पिस्तौल या दूसरे हथियार खरीद नहीं सकते हैं। इस वास्ते तीर कमान उनके पास रहने चाहियें। अगर नहीं रहेंगे तो ठेकेदार आदि लोग उनका शोषण करेंगे। मध्य प्रदेश में हाल में बजट सेशन में राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा था कि आदिवासी एरियाज में हम उनको शराब बनाने की पूरी छूट देंगे। लेकिन अभी तक इसकी एक्सीक्यूट नहीं किया गया है। मैं मांग करता हूँ कि जितने आदिवासी एरियाज हैं, शड्यूल्ड एरियाज हैं वहां पर शराब के ठेके की जो नीलामी की जाती है उसको बन्द कर देना चाहिये और आदिवासियों को अपने उपयोग के लिए शराब बनाने की छूट दे दी जानी चाहिए।

कल मैं कह रहा था कि आदिवासी और पहाड़ी इलाकों में लोग रहते हैं उनकी उपज की वाजिब कीमत उनको नहीं मिलती है और इसको दिलाने की व्यवस्था होनी चाहिये। हमारे यहां एक ट्राइवल कारपोरेशन कायम हुआ था। उस में आदिवासियों के काम में आने वाले सामान की खरीद या उनके काम में आने वाले सामान की बिक्री न हो कर उसके आई. द. एस. अफसर ने बम्बई में जा कर टैरी-लीन और टैरीकाट खरीद लिया और नतीजा

यह हुआ कि वह घाटे में लूला गया और फल हुआ। चाहिये यह था कि फारस्ट, एग्जिक्यूटिव, डेरी का सामान वह कारपोरेशन खरादता और मोटा कपड़ा, बीड़ी, सिग्रेट, नमक, तम्बाकू आदि की उनके लिए व्यवस्था करता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसको आप फिर से कायम करें और फारस्ट, एग्जिक्यूटिव, डेरी को तमाम चीजें उनको खरादने के लिए कहें और वह मार्केटिंग को व्यवस्था भी करें और आदिवासियों के वास्ते मोटा कपड़ा, माचिस, नमक, तम्बाकू, बीड़ी सिग्रेट को व्यवस्था करें। ऐसा नहीं किया जाएगा तो कभी आदिवासी उठ नहीं सकेंगे।

महात्मा गांधी ने कहा था कि जो महनत करता है, श्रम करता है वह आदमी इस देश में कभी गरीब नहीं हो सकता। सब से पहले काई महनत करता है तां आदिवासी और हारजन करता है। उसने ही सड़क बनवाई है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The time was extended up to 5.20. Still there are about 13 speakers from all parties. Is it the pleasure of the House to extend the time?

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR: My point of order is this.

We are discussing a very very important Resolution. It is necessary that all the hon. Members must get an opportunity to speak. I will request that this may continue even for three or four hours.

My point of order is this. Under Rule 389 you have got residuary power. Rule 389 says—

“All matters not specifically provided for in these rules and all questions relating to the detailed working of these rules shall be regulated in such manner as the Speaker may, from time to time, direct.”

(Interruptions)

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR: There is no rule. It is for him to

decide. So long as you are not in the Chair, do not disturb me.

(Interruptions)

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR: The point is this. There is no provision in the rules for giving precedence. But there is no bar. When there is no bar, you have power under Rule 389 to exercise your discretion. What I submit is that this Resolution may continue for two or three hours. Let us discuss it threadbare. But I submit that permission may be granted to the Mover of another Resolution to move in a minute and then...

SOME HON. MEMBERS: No.

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR: Why? I seek your ruling under 389. That is your discretion? That is under your power. You can do it.

(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Order please.

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR: This shows that you have no sympathy with the Harijans. Why not have it for three hours more i.e. upto 8 O'Clock?

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have raised a point of order and request for the Resolution to be moved.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: I have given notice of a Motion—myself and two other hon. Members. Let that be moved.

(Interruptions)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: The Resolution is being scuttled by the Ruling party. That is being done in a well planned manner.

(Interruptions)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: I do not think they are having proper respect for their leader even. She wants openly to have a proper

[Shri Somnath Chatterjee]
discussion. You are scuttling it.
Wonderful!

(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Order,
please.

Mr. Somnath Chatterjee, you may
move the Motion.

(Interruptions)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE:
Sir, with your kind permission, I beg
to move:

"That further discussion on the
Resolution moved by Shri Giridhar
Gomango, M.P. be adjourned at
5.45 p.m. till the next appropriate
date."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The
question is:

"That further discussion on the
Resolution moved by Shri Giridhar
Gomango, M.P., be adjourned at
5.45 p.m. till the next appropriate
date."

The Lok Sabha divided:

Division No. 21]

[17.32 hrs.

AYES

Agarwal, Shri Satish
Ashfaq Hussain, Shri
Barman, Shri Palas
Basu, Shri Chitta
Chakraborty, Shri Satyasadhan
Chatterjee, Shri Somnath
Giri, Shri Sudhir
Hannan Mollah, Shri
Horo, Shri N. E.
Lawrence, Shri M. M.

Mandal, Shri Sanat Kumar
Mohammed Ismail, Shri
Mukherjee, Shri Samar
Pal, Prof. Rup Chand
Rajda, Shri Ratansinh
Rakesh, Shri R. N.
Shastri, Shri Ramavatar
Swamy, Dr. Subramaniam
Varma, Shri Ravindra

NOES

Abbasi, Shri Kazi Jalil
Arakal, Shri Xavier
Arunachalam, Shri M.
Bairwa, Shri Banwari Lal
Baleshwar Ram, Shri
Bansi Lal, Shri
Bhakta, Shri Manoranjan
Bhardwaj, Shri Parasram
Bhuria, Shri Dileep Singh
Chakradhari Singh, Shri
Chandrakar, Shri Chandu Lal
Dalbir Singh, Shri
Dhandapani, Shri C. T.
Dogra, Shri G. L.
Era Anbarasu, Shri
Era Mohan, Shri
Fernandes, Shri Oscar
Gadhavi, Shri Bheravadan K.
Gomango, Shri Giridhar
Jain, Shri Nihal Singh
Jain, Shri Viridhi Chander
Jena, Shri Chintamani
Jitendra Prasad, Shri
Karma, Shri Laxman

Keyur Bhushan, Shri
 Khan, Shri Arif Mohammad
 Laskar, Shri Nihar Ranjan
 Mahabir Prasad, Shri
 Mahajan, Shri Vikram
 Mishra, Shri Ram Nagina
 Mishra, Shri Nityananda
 Motilal Singh, Shri
 Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
 Nair, Shri B. K.
 Nehru, Shri Arun Kumar
 Pandey, Shri Krishna Chandra
 Panika, Shri Ram Pyare,
 Patil, Shri A.T.
 Patil, Shri Shivraj V.
 Patil, Shri Vijay N.
 Poojary, Shri Janardhana
 Pushpa Devi Singh, Kumari
 Ran Vir Singh, Shri
 Rao, Shri M. Satyanarayan
 Rath, Shri Rama Chandra
 Rathod, Shri Uttam
 Rawat, Shri Harish Chandra Singh
 Sethi, Shri Arjun
 Sethi, Shri P. C.
 Sharma, Shri Chiranji Lal
 Sidnal, Shri S. B.
 Singh, Shri C. P. N.
 Soren, Shri Hari Har
 Sukhadia, Shri Mohan Lal
 Thakur, Shri Shivkumar Singh
 Verma, Shrimati Usha
 Vyas, Shri Girdhari Lal
 Yadav, Shri Ram Singh
 Yazdani, Dr. Golam

Zail Singh, Shri

Zainul Basher, Shri

MR. DEPUTY-SPEAKER: Subject to correction, the result* of the Division is: Ayes 19; Noes 61. The motion is negatived.

The motion was negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, we resume the discussion on the Resolution. Mr. Dileep Singh Bhuria.

*(Interruptions)***

MR. DEPUTY-SPEAKER: All these things will not go on record. Only Mr. Bhuria's speech will go on record. Nothing else will go on record.

*(Interruptions)***

श्री दिलीप सिंह भुरिया : उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष के लोग आज जो कुछ यहां कर रहे हैं यह इस बात को जाहिर करता है कि कितने ये आदिवासियों का शोषण करने वाले लोग हैं, कितना उनके ऊपर अत्याचार करने वाले हैं; हरिजन और आदिवासियों के लिए इन के अंदर किस प्रकार की भावना है वह आज आप हाउस में देख लीजिए। ये लोग न गरीबों का भला कर सकते हैं, न हरिजनों का, न आदिवासियों का भला कर सकते हैं। ये हमेशा इन के विरोधी रहे। हम चाहते थे कि आदिवासियों और हरिजनों की समस्याओं पर यहां चर्चा हो लेकिन ये उसके विरोध में यहां जो कुछ कर रहे हैं यह आप के सामने है। यह इस बात का गवाह है और इसका इतिहास बनेगा कि इन्होंने इस बात का विरोध किया कि हरिजनों और आदिवासियों की समस्याओं पर यहां चर्चा हो।

*The following Members also recorded their votes:

AYES: Sarvashri T. R. Shamanna, Ajoy Biswas and Jaipal Singh Kashyap;

NOES: Shri Vasant Rao Patil.

**Not recorded.

[श्री दिलीप सिंह भूरिया]

महात्मा गांधी कहते थे कि जो मेहनत करता है वह कभी गरीब नहीं होना चाहिए। इसलिए गरीब है कि दूसरे लोग इनका शोषण करते हैं। इन गरीबों ने इस देश के अंदर सड़कों बनाईं, रेलों की पटरियां बनाईं, सारे निर्माण के काम इन्होंने अपनी मेहनत और पसीने से किए। लेकिन इनका बराबर शोषण होता रहा।

मेरा इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव है। एक तो मेरा यह कहना है कि आदिवासी जो भी प्रॉड्यूस करते हैं चाहे वह खेती से हो या फारेस्ट से हो, या डायरी से हो, उसका सही मूल्य उनको मिलना चाहिए। उस के लिए आप को सहकारी समितियां बनानी पड़ेंगी। वह सहकारी समितियां आदिवासियों से उन चीजों को खरीदें और आदिवासियों को उन चीजों को पैदा करने के लिए जो सामान चाहिए वह उनको दें।

हमारे मध्य प्रदेश में लोहा पैदा होता है कोयला पैदा होता है। मध्य प्रदेश का लोहा जापान जाता है। कोयला दूसरी जगह जाता है। मैं चाहता हूँ वहां पर कारखाने खोलने चाहिए, बिजली के लिए पावर स्टेशन बनने चाहिए। उन आदिवासी एरियाज में जहां ऐसे खनिज हैं वहां सहकारिता के माध्यम से खनिज निकालने का काम किया जाना चाहिए तथा आदिवासियों की उसमें भागीदारी होनी चाहिए। तभी हरिजनों आदिवासियों के अन्दर विश्वास की लहर जाग सकती है।

जहां तक नौकरियों का सवाल है, यहां पर बहुत सारी बातें कही गई हैं। हरिजन आदिवासी सदियों से पिछड़े रहे हैं, वे नहीं जानते आई.ए.एस. आई.पी.एस. और गजटर्ड सर्विस कैसी होती है। उनके लिए रिजर्वेशन करके आपको उन्हें आगे बढ़ाना पड़ेगा। साथ ही इस देश में जो बहुत सी ताकतें उनके खिलाफ हैं उनका मुकाबला भी करना पड़ेगा। यह गांधी नेहरू का देश है। अब आप हरिजन आदिवासियों को डबा नहीं सकेंगे। इस देश में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी है वह गरीबों के पसीने से बनी है। उनमें आज इस बात का आशा है कि कुछ आदमी एयर-कण्डीशनिंग बिल्डिंग में बैठकर एंशो आराम

करते हैं और दूसरी तरफ वे भूखे रहते हैं। अगर आज संसद में हम उनके लिए विचार नहीं करते हैं तो भविष्य हमको कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए आज इस सदन में जो चर्चा चल रही है वह बड़ी खुशी की बात है।

हमारे मध्य प्रदेश शासन ने मेडिकल कालेज में हरिजन आदिवासी रिजर्वेशन की बात को माना लेकिन हाईकोर्ट ने स्ट्रे आर्डर दे दिया। मैं हाईकोर्ट के जजमेंट के सम्बन्ध में कुछ भी कहना नहीं चाहता लेकिन अफसोस की बात है कि कई जगहों पर ऐसी ताकतें बैठी हुई हैं अतः हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी हमें उनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था करनी होगी तभी उनको न्याय मिल सकेगा। मैं चाहता हूँ कि भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में उस हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करें ताकि मेडिकल कालेज में हरिजन आदिवासियों को भर्ती का मौका मिल सके।

दूसरी बात यह है कि आज हमारे आदिवासी और हरिजन भाई इस देश में अगर किसी को अपना नेता मानते हैं तो श्रीमती इन्दिरा गांधी को ही मानते हैं। गांव के किसानों को भी श्रीमती इन्दिरा गांधी पर पूरा विश्वास है इसलिए उन्होंने उनको अपना वोट दिया है। (व्यवधान) हमारे होम मिनिस्टर साहब यहां पर बैठे हैं, उन्होंने प्लानिंग कमीशन में आदिवासियों के लिए एक हजार करोड़ और हरिजनों के लिए दो हजार करोड़ की धनराशि दिए जाने की सिफारिश की है लेकिन मैं समझता हूँ इससे काम नहीं चलेगा। सदियों से यह लोग दबे और पिछड़े रहे हैं इनको ऊपर उठाने के लिए काफी पैसों का प्रावधान करना पड़ेगा। इसके साथ साथ वहां पर हमें अच्छे अधिकारी भी भेजने पड़ेंगे। आज उनके इलाकों में न तो रेलवे लाइन है, न इण्डस्ट्रीज हैं। आज रंगीन टेलीविजन अगर आप खोलना चाहते हैं तो वह बड़े शहरों में नहीं बल्कि उन गरीब लोगों के इलाके में खोलना चाहिये तभी उनमें विश्वास जागेगा कि यह सरकार हम गरीबों के लिए भी कुछ करना चाहती है।

आपने सेन्ट्रल स्कूल दिल्ली, कलकत्ता जैसे बड़े शहरों में खोल रखे हैं, आपको सेन्ट्रल स्कूल आदिवासी एरियाज में खोलना चाहिए। मिलिट्री ट्रेनिंग स्कूल भी आपको उन्हीं क्षेत्रों में खोलना चाहिए। मेरे क्षेत्र में 87 प्रतिशत ट्राइवल रहते हैं और कुल मध्य प्रदेश में उनकी एक करोड़ पापुलेशन है, वहां पर आप इनको खोलें तो आदिवासी भी इस देश की सेवा और रक्षा कर सकते हैं। आदिवासी, आदिम जाती के लोग ही इस देश के असली मालिक हैं, दूसरे लोग तो बाहर से आ सकते हैं लेकिन वे लोग तो सदियों से इस पहाड़ों पर बसे हुए हैं, उनका एक पुराना इतिहास है। उनको भी आप इस देश को बनाने का मौका दीजिए। वह इस देश को बनाना चाहते हैं, क्योंकि वह राम और हनुमान के भक्त हैं। मैं आपका अधिक समय न लेते हुए...

MR. DEPUTY-SPEAKER: When you mentioned about Ram and Hanuman you should have mentioned the name of Lakshman also. Why are you so very partial?

श्री बलीप सिंह भूरिया: मैं आपका अधिक समय न लेते हुए इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो माननीय सदस्य सामने बैठे हुए हैं मैं उन का मार्गदर्शन चाहता था और जो हम लोग यहाँ पर हरिजन और आदिवासियों के बारे में संसद में चर्चा करेंगे, वे गरीब लोग यह सब चर्चा रेडियो पर सुनेंगे कि हमारे मंत्री आफ पार्लियामेंट संसद में हमारे लिए क्या काम करते हैं।

डा. सुबहमण्यम स्वामी: आदिवासी नहीं, बनवासी कहिये।

श्री बिलीप सिंह भूरिया: बनवासी एक अलग चीज है, जिसे भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहने के लिए खड़ा हुआ था कि यदि आप आदिवासी क्षेत्रों का विकास करना चाहते हैं, तो आपको पूर्ण रूप से सारी ठेकादारी प्रथा को समाप्त करना होगा, चाहे वह शराब को ठेकादारी हो, चाहे सी. पी. डब्ल्यू. डी. की ठेकादारी हो—

तमाम ठेकादारी प्रथा को आपको समाप्त कर देना चाहिये। मैं आपको यह भी सुझाव देना चाहता हूँ कि यदि कोई आदिवासी क्षेत्र में काम करने के लिए जाता है, तो उसका एक रजिस्टर बनाना चाहिए कि जब आदिवासी क्षेत्र में काम करने के लिए आया था तो कितना माल लेकर आया था और जब वह जा रहा है तो कितना माल ले कर जा रहा है। इस प्रकार की व्यवस्था को जब तक आप नहीं करेंगे, तब तक आदिवासी लोग नहीं बढ़ सकते हैं।

दूसरी बात मैं शिक्षा के संबंध में कहना चाहता हूँ। यदि आप इन स्कूलों में देखेंगे, तो पायेंगे कि जिस बच्चे का नाम प्राइमरी स्कूल में दर्ज होता है, वह पांच साल बाद भी पहली कक्षा में ही रहता है, क्यों कि उन बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है। इसलिए मेरा आपसे प्रार्थना है कि ऐसे आश्रम खोले जायें, जिनमें 100-200 बच्चों को रखकर, उनको पढ़ाने की व्यवस्था हो सके। इस प्रकार के आश्रम हर डिस्ट्रिक्ट में खोलने चाहिये, ताकि आदिवासी बच्चों को शिक्षा मिल सके और वे देश के निर्माण में अपना सहयोग दे सकें।

मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि हरिजन-आदिवासी लोगों को विश्वास हमारे देश की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी पर है, और उनके 20 सूत्री कार्यक्रम पर है, जिसकी वजह से उन को जमीनें मिली हैं, जमीनें का बंटवारा हुआ है और यह काम हो कर रहेगा। मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि वे इस प्रकार का कानून बनायें, जो लोग उन की जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं। उनसे छीन लेते हैं, उस कानून के द्वारा उनको संरक्षण मिल सके और यह कानून सारे स्टेटों में लागू होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Is it the pleasure of the House to extend the time of the discussion? If so, how much time do you want? There are thirteen speakers.

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR:
It should be extended by two hours.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Let me put it again. Is it the pleasure of the House to extend the time of the discussion by two hours?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, Sir.

MR. DEPUTY-SPEAKER: So, the time of the House for this discussion is extended by two hours. Mr. Arakal.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY:
Has the time of the House been extended by two hours?

MR. DEPUTY-SPEAKER: The time of discussion is extended by two hours. Both of us belong to South. You must know that. Mr. Arakal.

SHRI XAVIER ARAKAL (Ernakulam): Sir, the problems of the tribals of Kerala are very big in many respects. Firstly they are numerically very small—over 2 lakhs of tribals of the population are in Kerala who are mainly confined in Malabar area. 92.39 per cent of the tribal people receive their income from agricultural works which means this section of the people very much depends on the agriculture and other allied activities. Nearly 71.73 per cent are agricultural labourers. On going through the Economic Review supplied by the Government of Kerala, I find it surprising that Rs. 800 alone was given to these 50 families. These poor families were given only a paltry sum of Rs. 800 to purchase agricultural implements, seeds, seedlings, implements, livestock, etc. I am telling you about these figures just to reveal to this House the bad plight of these poor tribal people of Kerala. It is really very deplorable. Out of this 2 lakhs and odd people, according to the sub-plan scheme, only 72,942 people are covered in 5 units, that is,

Punalur, Idikki, Nilambur, Mannathoddy and Attapady. More than 53 per cent of the tribal population is not covered by the whole scheme. May I ask the Minister what is the meaning of saying that 53 per cent of population is not covered? What is the explanation given by the State Government with regard to this serious omission? The 1979-80 annual sub-plan says this. The State plan amount is Rs. 138.75 lakhs...

DR. SUBRAMANIAM SWAMY:
Sir, it is a very important debate. There is no quorum in the House...

MR. DEPUTY-SPEAKER: The bell is being rung. Now, there is quorum. The hon. Member may continue.

SHRI XAVIER ARAKAL: Sir, I was referring to 1979-80 annual sub-plan. For the sub-plan the amount sanctioned was Rs. 188.75 lakhs out of which an amount of Rs. 171.20 lakhs has been given as Central assistance. Now, may I ask the hon. Minister how this amount is being spent in Kerala for the tribal scheme? Have you examined who are the beneficiaries and how many tribal people received out of this assistance? I have received many complaints from the tribal people saying that the amount allocated for their benefits is not properly spent. This is the most important matter which requires serious consideration of this Government. If an amount of Rs. 2 crores was given for a particular scheme, for a particular section of society, that is, the weaker sections of society, naturally we should examine in what manner the amount has been spent and see whether the amount has been spent for the benefit of the weaker sections of society. Have these people improved their socio-economic conditions? This is a vital issue which the hon. Minister must take note of, because in Kerala these tribal people are in great distress.

Sir, as I said, 92.39, of the population depend on agriculture. Sir, the Kerala Assembly passed a law for giving back the land belonging to the tribal people. That law was passed a long time ago. But nothing has been done so far. Surprisingly and, of course, shameful so to say, that this piece of legislation is a dead-wood. I strongly plead that this is an occasion for the Central Government to interfere in this matter. I hope the hon. Minister would kindly pay attention to the serious allegation which I am making here. The law was passed for the benefit of these poor people but it has not been implemented in Kerala so far. Why is it so? The previous speaker has said how coward we are, how insincere we are when we come to the question of implementing the same legislation. I do not know why there has been inordinate delay in giving land usurped by fraud and cheat from the ignorant tribal people in Kerala.

Sir, I have gone through the figures of the special Central Assistance for sub-plan scheme from 1974 onwards. In 1974-75, the amount allotted was Rs. 2.50 lakhs. But you will kindly notice that the amount spent out of this was Rs. 1.45 lakhs. Sir, at every stage, fraud is being played with these poor people. Who is responsible for this? Are we not responsible to examine these facts and take remedial measures at least now? In 1978-79, an amount of Rs. 26 lakhs was allocated. And the amount spent is Rs. 31.80 lakhs. My examination of the facts and figures reveals that from 1971 to 1977, these weaker sections of people in Kerala, numbering over two lakhs, used to get lot of assistance, but from 1977 to 1980 that has not been the case. I must make a mention in this House that many of the families are being attacked now and some of them are being even killed. Has the Government received any complaint from this section of the people, especially the tribal people?

I am sure, the hon. Minister when he visited Kerala, must have received some complaints. There is another problem which is confined to this sector of the people alone and that is this. There is lot of misunderstanding or lack of understanding between the tribal people and scheduled castes in general. As I said earlier, while I was a member of the State Legislature and even now, I received a number of complaints that the tribal people are not getting their due share. The hon. Minister also must have received this complaint. If this is a genuine complaint and they are not getting the due benefits, Government should go into this matter. Why is the Kerala Government adopting this attitude?... (Interruptions). This is a serious matter.

There are certain pockets of scheduled tribes in Kerala which are thoroughly and utterly neglected. May I know, how many of them are in services, how many of them are studying in high schools and other institutions? There are not many. How many nursery schools are there in these areas? I am ashamed to say that they are completely neglected. I would like to cite an example of Chola Naikar of Mallapuram. I have gone to that place. Now ration card has been given to them; no pension benefits are available to them.

As I said, 92.39 per cent of the population work in agricultural fields; they are not given the benefits. Do I have to go into that aspect? May be my friend, the Marxist M.P. from there will be able to answer.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You may continue next time.

18 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, December 15, 1980 | Agrahayana 24, 1980 (Saka).